छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021

(फाल्गुन 17, शक सम्वत् 1942)

[अंक 11]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021

(फाल्गुन 17, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय :- संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं।

हमारे लिए यह गौरव की बवात है कि हमारे राज्य की राज्यपाल तथा महिला एवं बाल विकास विभग की मंत्री भी महिला हैं, साथ ही इस विधानसभा में कुल 14 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। मैं आप सभी सममाननीय महिला सदस्यों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

कोविड-19 के वैश्विक परिदृश्य में भविष्य में महिला नेतृत्व को समान अवसर प्राप्त होना, यह विषय आज के इस दिवस के लिए निर्धारित है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने हेतु शासन द्वारा किये गये विभिन्न उपायों को लागू करने में देश एवं विश्व की सभी महिलाओं ने अपनी पूर्ण सहभागिता पूरी निष्ठा से निभाई है।

इस अवसर पर मैं संत कबीर जी की पंक्तियों का उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं कि "नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।" इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आईये, इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम महिलाओं को पूर्ण सम्मान देंगे।

पुन: आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

समय:

11.02 बजे

राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

अध्यक्ष महोदय :- सम्माननीय सदस्यगण, समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तद्नुसार, आज सोमवार, दिनांक 08 मार्च को राष्ट्रकुल दिवस है। इस

वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने "संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण : सम भविष्य का सृजन" को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 53 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं के नागरिकों का समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रकुल देशों की सफलता का आधार मानवता, सद्भावना, सम्मान, परस्पर एकता, भाईचारा से ओतप्रोत समुदाय की रचना करते हुए, विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का दृढ़ संकल्प है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, सुनहरे भविष्य, हमारी उन्नति एवं समावेशी विकास का मुख्य आधार भी है।

आईये, हम सब "संबद्धता, रचनात्मकता एवं रूपांतरण: सम भविष्य का सृजन" विषय के मूलमंत्र को मानते हुए, आज राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि राष्ट्रकुल देशों के बीच समानता, मानवीयता, संवेदनशीलता, परस्पर सहयोग, समन्वय, शांति, एकता से परिपूर्ण विकासशील समाज के निर्माण एवं विश्व बंधुत्व की भावना और वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं के शांतिपूर्वक समाधान के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- पत्रकारों हेतु विधानसभा समिति कक्ष क्रमांक एक में आज दिनांक 8 मार्च, 2021 को नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है।

कृपया पत्रकारगण 11.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारी देश और विश्व की महिलाएं सभी जगह अच्छी ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आज महिलाएं स्पेस में जा रही हैं। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े काम कर रही हैं तो निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं सभी महिलाओं और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कांग्रेस विधायक दल की ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस देश की सतयुग से लेकर द्वापर, श्रेता, कलयुग अनादिकाल से महिलाओं की जो यहां पर वर्चस्व और भूमिका रही है आजादी के बाद भी महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और उस भूमिका के साथ में जब आजादी मिली तो नेतृत्व कर, इस देश के विकास हुआ। साथ ही आज जिस प्रकार से महिलाएं पुरूषों से कदम मिलाकर काम कर रही है जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक निश्चित रूप से यह गौरव का विषय है और इस अवसर पर मैं उनके सुख-समृद्धि, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, इस देश के विकास में आपकी सतत् भूमिका हो, इसी के साथ में मैं उनको पुन: बधाई देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोय :- कोई महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बधाई देने के लिए तैयार नहीं है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथी कांग्रेस की महिला विधायकों को भी बहुत बधाई देते हुए, कांग्रेस की महिला विधायक नहीं, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। मुझे रंजना, इंदु और आंटी भी नहीं दिख रही थी। अभी इंदू बंजारे जी आईं हैं। सभी कांग्रेस महिला सदस्यों को, मैं माफी चाहती हूँ। सभी महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। भईया, ऐसा ही होगा जब संसदीय सचिव बनाकर बोलने नहीं देंगे तो हम बोलना भूल जाएंगे। (हंसी) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोय :- माननीय मंत्री जी ने तो मुझे महिला दिवस की बधाई दी है और केवल महिलाओं को कैसे दे रही हैं?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भाभी के बधाई सेती दिये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी बधाई देना और भाभी जी को भी बधाई देना है तो आपके माध्यम से उनको भी बधाई दी है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा में सभी सदस्यों और माननीय विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जेंडर असमानता को खत्म करते हुए, महिला को सशक्त बनाने के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और हम सब महिलाएं मिलकर भारत को महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी सदस्यों को आदरणीय मंत्रिगण, अधिकारीगण को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और छोटी सी शायरी कहना चाहती हूँ :-

"बेटियां पक्षी होती हैं पर पंख नहीं होती।।

मयका कहता है कि बेटी बढ़ गई है

ससुराल कहता है कि पराये घर से आई है

तो हे खुदा आप ही बताईये कि बोटियों का घर होता है कहां"?

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सदन के सभी सदस्यों के सहित मंत्रिगण को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी दीदी मंत्री जी को भी बहुत दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कविता कहना चाहती हूँ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही एक पंक्ति भी बोलना चाहूंगी।

"कि दुनिया की पहचान है नारी

हर घर की मां, बेटी, बहन बनकर शान है नारी

इसे कमजोर मत समझो।

हर रिश्तों की मर्यादा और सम्मान है नारी।" आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

महिला एवं बालविकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को और छत्तीसगढ़ की सारी महिलाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, पर यूनाईटेड नेशन में जो पहले अधिकार नहीं था, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था, परंतु हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे देश की महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के बाद से ही हम सबको वोट देने का अधिकार था और हमारे देश में समानता का अधिकार भी था । अन्य देशों में तो महिलाओं को तो समान अधिकार भी नहीं था, वहां उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। परन्तु हम सब भारत देश की नारियों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप सब लोगों ने हम लोगों का साथ और सहयोग देकर हम सबको कंधा से कंधा मिलाकर पुरूषों के बराबर काम करने का अधिकार जो दिया है। इसलिए आप सबको और पूरे हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ महापुरूष हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूं जो हम सबको समान अधिकार दिया। खासकर हमारी छत्तीसगढ़ की महिलायें सशक्त और स्वावलंबी हैं। वह खेती के काम से

लेकर, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह अपनी परचम लहराई हैं। इसलिए मैं हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। मेरी सरकार और मेरा विभाग हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गुलाब कमरो।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर।

स्कूल शिक्षा विभाग में एम.आई.एस. प्रशासक के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

1. (*क्र. 51) श्री गुलाब कमरो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में एम.आई.एस. प्रशासक के कुल कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त है? कार्यरत में से कितने नियमित हैं एवं कितने अन्य संवर्ग के पदों से पदभार में है? (ख) क्या छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 339 दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों का एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है? यदि हॉ, तो कितने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर पदोन्नत किया है? एवं नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एम.आई.एस. प्रशासक के 25 पदों के विरूद्ध 12 व्यक्ति कार्यरत हैं तथा 13 पद रिक्त है. एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर कोई भी नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं है, कार्यरत 12 कर्मचारी अन्य संवर्गों से हैं. (ख) जी हां. निरंक. कोरोना के समय कार्यालय पूरी तरह से संचालित न हो सकने के कारण.

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्नकर्ता हूं इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला। आज महिला दिवस के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर विगत 11 सालों से अभी तक पदोन्नति नहीं गई है। 11 साल से पदोन्नति नहीं होने के कारण एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर टीचर काम कर रहे हैं जिसका कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2009 की भर्ती नियम और संशोधित नियम 2010 में शत-प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान था, लेकिन 11 साल पूरे हो गये हैं अभी तक पदोन्नति क्यों नहीं की गई है, किस कारण से नहीं की गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न ही कर रहा हूं कि 11 साल हो गये हैं, अभी तक आखिरी पदोन्नति क्यों नहीं की गई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एम.आई.एस. के कितने पद स्वीकृत हुए हैं और कितने पद में व्यक्ति कार्यरत हैं तो मैंने जानकारी दी है कि एम.आई.एस. प्रशासक के 25 पदों के विरूद्ध 12 व्यक्ति कार्यरत हैं तथा 13 पद रिक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रमोशन पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई थी और यह अभी सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन है। जनवरी 2021 में इसकी अनुमति मिली है और हम लोग आगे जैसे ही परिस्थिति होगी, इसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी भर्ती नियम, पदोन्नति नियम में अन्य विभाग में पदोन्नति की गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पदोन्नति की कार्यवाही की जाये। ताकि जो हमारे टीचर उस कार्य में लगे हुए हैं, 11 साल से शिक्षा के कार्य से वंचित होकर वह दूसरा काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि पदोन्नति की कार्यवाही कर दें। माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि कोविड है, 11 साल हो गये हैं, कोविड अभी एक साल से चल रहा है। इसलिए इनकी पदोन्नति हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी हो जाये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबकी चिंता है कि जल्दी पदोन्नति हो जाये और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूंकि कोविड के कारण बहुत सी बैठकें नही हुई। उसमें अभी-अभी सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मिली है, उसमें आगे करेंगे।

श्री गुलाब कमरो :- ठीक है, धन्यवाद।

<u>जांजगीर चांपा जिले में वन ग्रामों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन</u>

2. (*क्र. 97) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है? उपरोक्त गांव में कब-कब पटवारी नक्शा और भूअधिकार अभिलेख तैयार किया गया है? (ख) कितने किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को अधिकार अभिलेख में इन्द्राज किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर चांपा अन्तर्गत 02 वन ग्राम कटरा एवं डोंगीपेण्ड्री को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है. वर्ष 2016 में नक्शा और भू-अभिलेखों का हस्तांतरण वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को किया गया है. (ख) किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को भू-अधिकार अभिलेख में इन्द्राज कर लिया गया है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जांजगीर चांपा जिले के दो वन ग्रम कटरा एवं डोंगीपेण्ड्री को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का जवाब दिया है। उन्होंने जवाब दिया है

कि भू-अधिकार अभिलेख में वन भूमि के पट्टाधारकों का नाम इन्द्राज कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस खसरा नंबर में कितने वन भूमि पट्टा के किसानों का नाम इन्द्राज किया गया है ? किस खसरा नंबर में और कितने लोंगो का किया गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकदम खसरा नंबर की जानकारी देना तो अभी संभव नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो दोनों गांव के बारे में आपने प्रश्न किया जिस प्रकार से विभाग ने वर्ष 2016 में उत्तर दिया है, नक्शा एवं भू-अभिलेखों का हस्तांतरण अब जिन खसरा में वर्ष 2016 में रहा होगा, उसको इंद्राज किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी किसान का नाम इंद्राज नहीं किया गया है और ऐसे किसान को चूंकि न तो धान का पंजीयन हो रहा है, न सरकार की किसी प्रकार की योजना का लाभ मिल रहा है, न खाद मिल रहा है और न ही बीज मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं हुआ है और इस पर पूरी जांच की आवश्यकता है । दो छोटे-छोटे से वन ग्राम हैं और जिनको वन अधिकार का पट्टा मिला था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें जांच की आवश्यकता है, अधिकारी लोग यहां पर जो जानकारी दे रहे हैं वह असत्य जानकारी दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, माननीय मंत्री जी जांच करा लीजियेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की जरूरत नहीं है । अगर माननीय विधायक जी चाहते हैं, आपने जिन गांवों कटरा और डोंगीपेंडरी का जिक्र किया तो विभाग ने तो उत्तर दिया है कि राजस्व विभाग को भू-अभिलेखों का हस्तांतरण कर दिया गया है । अब उसको खसरावार और किसानवार इंद्राज किया है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर नहीं किया गया होगा तो किसानों को तकलीफ है, उनका पंजीयन नहीं होगा, उनके धान की बिक्री नहीं होगी लेकिन अभी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऐसे किसानों का भी जो फॉरेस्ट लेण्ड में भी खेती करते हैं उसको भी किया जायेगा । यह तो अब राजस्व भूमि दर्ज हो गया तो क्यों नहीं किया जायेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला कलेक्टर को निर्देश दूंगा, आपके साथ बैठकर के इन गांवों में यह जो समस्या है उसको दूर करें, किसानों का पंजीयन करायें, खसरा में जो दर्ज करना है उसके लिये समुचित कार्यवाही करे और किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न है । चूंकि इन गांवों में मिशल उपलब्ध नहीं है तो जो जाति प्रमाण-पत्र है वह किस आधार पर बनेगा ? वन ग्राम से राजस्व ग्राम हुए और राजस्व ग्राम हुए तो वहां पर मिशल उपलब्ध नहीं हैं तो जाति प्रमाण-पत्र बनाने में बहुत समस्या आती है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । मैं जवाब देता हूं । माननीय सौरभ जी मैं जानता हूं कि मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है लेकिन अचानक श्री जयसिंह अग्रवाल जी को कोरोना हो चुका है इसलिए चलते-चलते उनको प्रभार मिला है । आप ऐसे क्लिस्ट प्रश्न न करें कि माननीय मंत्री जी उसका जवाब न दे सकें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन इसका भी उत्तर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह मिशल की बात है । फॉरेस्ट लेण्ड में मिशल तो बन नहीं सकता । यह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं लेकिन जैसे ही रेवेन्यू को लेण्ड ट्रांसफर होगा, अब जाति प्रमाण-पत्र को जोड़कर के आपने मिशल का प्रश्न किया है तो मिशल के अलावा भी जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये सरकार के आदेश हैं, 2-3 अन्य विकल्प हैं उसके आधार पर बनाया जायेगा लेकिन आपका और कोई सुझाव होगा तो उसको हम लोग अमल करेंगे ।

प्रश्न संख्या : 03 XX XX

<u>केन्द्र द्वारा बारदाना की खरीदी हेतु उपलब्ध कराई गई राशि</u>

4. (*क्र. 1528) श्री रजनीश कुमार सिंह (श्री धरमलाल कौशिक) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धान खरीदी हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध कराया जाता है? क्या केन्द्र द्वारा खरीदी के लिए कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में प्रति बारदाना क्रय हेतु कितनी राशि प्रावधानित की गई है? क्या केन्द्र सरकार के द्वारा निश्चित संस्था से ही बारदाना क्रय करने राज्य शासन को निर्देशित किया गया है या राज्य शासन स्वयं बारदाना क्रय करने में सक्षम है, इस संबंध में केन्द्र सरकार के क्या निर्देश हैं? (ख) राज्य शासन द्वारा प्रश्नांश "क" हेतु बारादाना क्रय के लिए कब-कब आदेश किस-किस संस्था को प्रदान किये गये व प्रदाय आदेश के विरूद्ध कितना बारदाना कब-कब संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या किसानों के द्वारा लाये गये बारदानों में भी धान का क्रय किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने किसानों के कितने बारदानों में धान का क्रय किया गया है व इस हेतु प्रति बारदाना कितनी राशि दी गई है व कुल कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया गया है व कितने का भुगतान किया जाना है? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के कार्य हेतु प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा प्रावधिक लागत पत्रक जारी किया जाता है. इस लागत पत्रक के आधार पर चांवल जमा करने पर चांवल की राशि प्राप्त होती है, जिसमें बारदाना की दर शामिल होती है. वर्ष 2020-

21 के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-02-2021 तक प्रावधिक लागत पत्रक जारी नहीं किये जाने के कारण राशि प्राप्त नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा बारदाना खरीदी के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नये जूट बारदाना का क्रय करने हेतु उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जूट कमिश्नर कोलकाता से बारादाना क्रय किया जाता है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से नये एच.डी.पी.ई./पी.पी. बारदाने क्रय किया जाता है. विपणन संघ द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन ई-निविदा आमंत्रित कर एल-1 दर पर नये एच.डी.पी.ई./पी.पी. बारदाने क्रय किया गया है. (ख) जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "च" अनुसार है. (ग) जी हां. प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा 5,54,822 किसानों के 4,05,10,362 नग (81021 गठान) बारदानों में धान का उपार्जन किया गया है. किसानों के बारदानों के लिये रुपये 15/- प्रति नग की दर निर्धारित की गई है. किसानों के बारदानों के भुगतान की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

अध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश कुमार/श्री धरमलाल कौशिक । यह उर्फ लिखा है, इसमें क्या लिखा है ? श्री रजनीश कुमार फिर कोष्टक में श्री धरमलाल कौशिक का क्या अर्थ होता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उर्फ बोला ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं नहीं समझ पा रहा हूं न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने केवल श्री रजनीश जी का नाम लेकर श्री धरमलाल भैया का नाम लिया इससे यह साबित हो रहा है कि केवल यही दोनों एक हैं, आप समझ लीजिये कि बाकी सब आऊट हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बारदाना खरीदी को लेकर प्रश्न किया था और मैंने यह पूछा था कि क्या केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध कराती है या राशि उपलब्ध कराती है । माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता तो धान खरीदी के समय लगातार यह जो बात चल रही थी कि हमको केंद्र सरकार द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया । यह बात बिल्कुल असत्य थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और प्रश्न पूछूंगा लेकिन मैं फिलहाल आपसे दो प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहा हूं । आपने इसमें कहा है कि प्रावधानित राशि के बोरा का जो मूल्य है, केंद्र सरकार जब चावल देती है तो उस मूल्य की राशि हमको दी जाती है । मैं इसमें यह जानना चाह रहा हूं कि इस साल आपने कितने रूपये में बोरा लिया और यह प्रावधानित राशि जब केंद्र से आपको चावल के रूप में मिलता है तो केंद्र सरकार द्वारा बोरे का मूल्य कितना दिया जाता है ?

[1] परिशिष्ट "एक"

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न था उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था, जो आपको दिया था । जवाब में यह था कि केंद्र सरकार की प्रचलित नीति के तहत् भारत सरकार देश के राज्यों में नये जूट बारदानों की आपूर्ति की मात्रा निर्धारित करके और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से राज्यों को बारदाना की आपूर्ति की जाती है । केंद्र सरकार की इस नीति के कारण जूट बारदाने की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारें जूट कमिश्नर कोलकाता को अपने इंडेंट भेजती हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि इस साल अपने बारदाना कितने में लिया, आपने 1 लाख 45 हजार गठानें ली हैं, वह कितने में ली हैं और जो केन्द्र सरकार द्वारा बोरे की भी प्रावधानित राशि दी जाती है । चावल के साथ उस बोरे की कितनी दर दी जाती है । आपने जितने में लिया है उतना दिया जाता है या उससे कम दिया जाता है या उससे ज्यादा दिया जाता है । मैं उस बोरे की दर जानना चाह रहा हूं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बारदाने का जो इंडेंट दिया था, उसमें 3 लाख की मांग की गई थी लेकिन हमें 1 लाख 9 हजार बारदाने की आपूर्ति हुई थी । जब चावल जमा होता है उसके बाद उसमें बोरे की कीमत भी जोड़कर राज्य सरकारों को दिया जाता है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं दर जानना चाह रहा हूं । किसानों के द्वारा 4 करोड़ से ऊपर बारदाने आपको दिये गये हैं । आपने पिछले 57 रूपए में लिया था, इस साल शायद 54 रूपए में लिया है और आप किसानों को 15 रूपया दे रहे हैं । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जब आप चावल जमा करते हैं तो आपको बोरे की दर क्या मिलती है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जूट कमिश्नर से जो बारदाने की मांग की थी उसमें जो बारदाने की दर 39445 रूपए प्रति गठान था ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आपने जो जवाब दिया है कि प्रावधानित राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें बारदाने की दर शामिल होती है । जब आप चावल देते हैं तो प्रति बारदाने की दर क्या मिलती है, मैं यह जानना चाह रहा हूं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैंने बताया ना, 29445 प्रति गठान के रूप में ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रति नग पूछ रहा हूं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 58 रूपए, 69 पैसे प्रति नग ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इनको 58 रूपए प्रति नग के हिसाब से भुगतान हो रहा है । अभी आपने किसानों का 4 करोड़ बोरा खरीदा है, 15 रूपए की दर से उनका 37 करोड़ बाकी है । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप वह दर किसानों को देंगे । आपको केन्द्र सरकार से जो राशि मिलेगी । किसानों ने 30 रूपया, 40 रूपया, 50 रूपया में, ब्लैक में लिया है । आप 15 रूपया दे

रहे हैं, क्या उनको वह दर देंगे जिस दर आपने क्रय किया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, ये नये बारदाने होते हैं । जितनी मांग की गई, उतना नहीं मिला । लेकिन चूंकि हमको धान खरीदी करनी थी इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की । जूट कमिश्नर से जितना बारदाना मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिलता । फिर पी.डी.एस. के बारदाने लिये, मिलर्स से बारदाने लिये, एच.डी.पी.ई. के बारदाने लिये और उसके बाद किसानों से भी बारदाने लिये । हमने जो बारदाने किसानों से लिये, उसका 15 रूपए प्रति बारदाने के हिसाब से भुगतान करेंगे ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने बाजार से नया बारदाना लिया है, ब्लैक मार्केट से लिया । चलिए सिंगज यूज का दूसरी दर तय कर दीजिए लेकिन जो नये बारदाने बाजार से लिये गये हैं, जो बारदाने ब्लैक में लिये गये हैं उनको तो कम से जिस दर में ले रहे हैं, उस दर में भुगतान करिये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, किसानों से पहले भी बारदाने लिये जा रहे थे । उसकी कीमत 10 रूपए थी, किसानों को 10 रूपया मिलता था । फिर 2017-18 में इसकी कीमत 12 रूपए प्रति बारदाना हुई, 2018-19 में भी इसकी कीमती 12 रूपए प्रति बारदाना थी, 2019-20 में इसकी कीमत 14 रूपए हुई, 2020-21 में इसका भुगतान 15 रूपया किया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश जी, आप गिन लीजिएगा, आपने कितने प्रश्न किये हैं । आप गिनकर बता दीजिएगा आपने कितने प्रश्न किये हैं और चाहेंगे तो मैं आपको और अवसर दूंगा । माननीय धरमलाल जी ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आए चाहे ना आए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब आ गया है । मैंने बताए कि विभिन्न वर्षों में बारदाने की जो कीमत रही है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सरकार हाय तौबा मचा रही थी और सदन से लेकर सड़क तक असत्य कैसे बोला जाता है, यदि किसी को सीखना है तो इस सरकार से सीखना चाहिए । जिस बात को लेकर प्रेस वार्ता में केन्द्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये ढिंढोरा पीट रहे थे । आज मैं मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात को कुबूल किया और हमने प्रश्न किया है कि बोरे की व्यवस्था कौन करता है तो उनका जवाब आया है कि केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसके आगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसके आगे बोल रहा हूं । इस बात को लेकर पूरा भ्रम फैलाने का

काम, बदनाम करने का काम इस सरकार के मुखिय से लेकर वहां तक भ्रम फैलाने का काम किया गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सरकार के मुखिया ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, प्लीज, प्लीज, प्लीज।

श्री धरमलाल कौशिक :- और यह प्रेस वार्ता करके कहा गया और इस बात का ढिंढोरा पीटते रहे, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम सच्चाई को कबूल किया है और कबूल करके यह बता दिया कि केन्द्र सरकार का काम बोरा उपलब्ध कराने का नहीं है। ये इसी प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान खरीदी के लिए इस वर्ष कुल कितने गठान की आवश्यकता थी ? आपने कितना ऑर्डर दिया और आपको कितना प्राप्त हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के लिए हम लोगों का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें साढ़े 3 लाख गठानों की जरूरत पड़ी और उसका हम लोगों ने 27/06/2020 को मांग पत्र प्रेषित किया और 30/07/2020 को 3 लाख गठानें उपलब्ध कराने का कार्य योजना स्वीकृत की गई, लेकिन जुलाई-अक्टूबर के मध्य में यह 1 लाख 45 हजार गठानों का यहां से निर्देश जारी किया गया और उसके लिए जब पैसा था 422 करोड़, वह जमा भी कर दिया गया था, लेकिन अचानक 09/10/2020 को भारत सरकार ने कटौती करते हुए 1 लाख 43 हजार गठान देने की स्वीकृति प्रदान की गई और आखिरी में 1 लाख 09 हजार गठानें उपलब्ध हुईं।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह उत्तर में आया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदेश दिया गया है, उसकी कॉपी है। मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि आपको जब 4 लाख गठानों की आवश्यकता थी तो आपने आदेश उन्हें कुला मिलाकर 1 लाख 45 हजार गठान का ही आदेश दिया और 1 लाख 45 हजार गठान का आदेश इन्होंने क्यों दिया ? वो कितना सप्लाई किये ? यह बाद की बात है। वह जवाब में आ जाता, लेकिन आपने आदेश ही नहीं दिया और आदेश देने के पहले इस बात की कल्पना कर लें कि गठान हमें नहीं मिल रही है तो आपके आदेश की कॉपी कहां है ? जो आपने आदेश दिया है वह यह है कि साढ़े 4 लाख गठान की आवश्यकता थी और आपने कुल 1 लाख 45 हजार 84 गठानों का ही आपने आदेश दिया है। इस प्रकार से असत्य बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको जो आवश्यकता थी, उसके अनुरूप आपने उसका ऑर्डर क्यों नहीं दिया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो आदेश दिया था, जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 1 लाख 45 हजार गठान देंगे और उतने ही का पैसा भी जमा कर दिया, लेकिन जब देने की बारी आयी तो उन्होंने उसकी कटौती करके हमें 1 लाख 09 हजार बोरा..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं पैसा जमा का तो पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपने कितना पैसा जमा किया ? पैसा तो आगे-पीछे देते रहते हैं। जमा करते रहते हैं। मूल प्रश्न है आपके ऑर्डर देने का कि किसी भी व्यापारी को आप यदि उन्हें 100 क्विंटल का दिये या 200 क्विंटल का दिये, उसके अनुरूप में वह पहुंचायेगा। पैसे का तो आगे-पीछे लेन-देन होता रहता है। सरकार की बात है। आपने ऑर्डर ही कम दिया है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब 4 लाख की जरूरत थी तो आपने ये 1 लाख 45 हजार गठान का ऑर्डर क्यों दिया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो निर्देश थे, उन्होंने खुद कमिटमेंट किया था कि हम 3 लाख गठान देंगे। उसके बाद उनकी जो कार्य योजना बनी..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा, उस आदेश की कॉपी आपके पास है न। क्या आप आदेश की कॉपी पटल में रखेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरे पास पूरे आदेश की कॉपी है। मैं उसे पूरा खोलकर पढ़ देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी बोल रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने आदेश दिया है तो उसकी कॉपी पटल में रख दें। मैं उसके ऊपर में सवाल पूछना चाहता हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरे पास पूरे कॉपी रखे हुए हैं और कब-कब क्या-क्या आदेश दिया गया है ? सभी राज्यों को उन्होंने जो आदेश दिया था, उसमें छत्तीसगढ़ में 3 लाख गठान स्वीकार किया था कि हम देंगे, लेकिन जब देने की बारी आयी तो उन्होंने उसे अचानक कट कर दिया। (शेम-शेम की आवाज) उतना नहीं दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- साहब, आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। अरे, आपने ऑर्डर ही नहीं दिया है। आप इसमें जवाब में दिये होते।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह मेरे पास उसका कार्यादेश है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरे पास नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरे पास तो है न।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरे पास नहीं है। उत्तर आपको देना था।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सरकार के पास है। मेरे पास सारे आदेश की कॉपी है। जो आप चाहे पढ़ दूंगा। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उत्तर आपको देना था। यदि उत्तर आपको देना था और यदि आपके पास है तो विपक्ष को आपको देना था। मेरे पास तो जवाब है। यह सरकार का जवाब है तो मैं उसी से पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर आपको देना था । यदि आपको उत्तर देना था तो आपके पास उत्तर है तो आपको विपक्ष को देना था। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- यह गलत बात है (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- नेता जी, जितने बारदाने की जरूरत थी, उतना हमें नहीं मिला । (व्यवधान)

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जितने बारदाने की जरूरत थी, उतना बारदाना हमने केन्द्र से मांगा, पर उतना बारदाना नहीं दिया । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सरकार का जवाब है, मैं उसी से पूछूंगा । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास है । (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी हर साल होती है और हर साल भारत सरकार के जूट कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है और वे कार्य योजना बनाते हैं कि किस-किस राज्य को कितना-कितना किस महीने में बारदाने की आवश्यकता पड़ेगा, उसके हिसाब से वे फिर सभी फैक्ट्रियों को आर्डर देते हैं । इस साल कोरोना था । कोरोना कॉल में लॉकडाऊन के कारण सारी फैक्ट्रियां बंद थीं, जूट फैक्ट्रियां भी बंद रही हैं । इस कारण यह स्थिति निर्मित हुई है । भारत सरकार के जूट कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है, सभी राज्य जहां धान उत्पादन कर रहे हैं चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार, छत्तीसगढ़ या आंध्रप्रदेश हो, सभी राज्य धान का उत्पादन करते हैं तो अलग-अलग महीनों में अलग-अलग राज्यों में बारदाने की आवश्यकता पड़ती है । पंजाब और हरियाणा में जल्दी धान आ जाता है, हमारे यहां बाद में धान आता है । उसके हिसाब से उन्होंने सप्लाई की बात कही और उन्होंने कहा कि चूंकि जूट मिल बंद है, इस कारण से बारदाने की उपलब्धता में कमी आई है तो हम लोगों ने तीन-साढ़े तीन लाख गठान की मांग की थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे । अंत में 1 लाख, 45 हजार गठान की सहमति बनी । जब 1 लाख, 45 हजार की सहमति बन गई तो फिर ठीक है । यहां हमें जो व्यवस्था करनी थी, हमने राईस मिलर को कहा, फिर पी.डी.एस. में जो हमारे पास बारदाने हैं, हमने लोगों ने उसका उपयोग किया, उसके बाद जब बारदाना कम हुआ तो फिर किसानों से बात की । सवाल इस बात का है कि जब हमने तीन लाख गठान बारदाना मांगा था, 1 लाख, 45 हजार गठान देने की सहमति बनी । जब 1 लाख, 45 हजार गठान की सहमति बनी तो आर्डर भी 1 लाख, 45 हजार गठान का देंगे । पूरा धान खरीदी बीत गया, लेकिन आजतक 1 लाख, 45 हजार गठान हमको नहीं मिला । हमको 1 लाख, 09 हजार गठान बारदाना मिला (शेम-शेम की आवाज) लेकिन फिर भी किसानों के सहयोग से, राईस मिलर के सहयोग से और पी.डी.एस. जो दुकानें चला रहे हैं, उन सबके सहयोग से लेकर हमने धान खरीदी की, इस साल हमने रिकार्ड 92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की है । (मेजों की थपथपाहट) आप ये कहते हैं कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है तो राज्यों की जो

मांग है, वह भारत सरकार ही तय करती है । उनके जो जूट कमिश्नर हैं, वह सभी व्यवस्था देखते हैं कि किस राज्य को कितना बारदाना देना है । मैं समझता हूं कि अब स्पष्ट हो गया ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पी.पी. बोरा, प्लास्टिक बोरे का आर्डर दिया । आपने प्लास्टिक बोरे का आर्डर दिया है और आर्डर देने के बाद में तीन जिले में आजतक वह प्लास्टिक बोरा नहीं पहुंचा । आपने 70 हजार बोरे का आर्डर दिया था और आपको 37512 बोरा मिला । आप बता सकते हैं कि दुर्ग, कोरबा एवं मुंगेली जिलों में एग्रीमेंट के बाद में एक भी पी.पी. बोरा नहीं पहुंचने का क्या कारण है और उसके खिलाफ में क्या कार्यवाही की गई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पी.पी. बोरा खरीदा तो बगल के जो जिले हैं, वहां पर उसका आर्डर दिया गया था और वहीं पर उसकी व्यवस्था की गई । किन्हीं जिलों में जहां बारदाना नहीं पहुंच पाया, उसमें बगल के जिलों से व्यवस्था की गई और जो लोग सप्लाई नहीं कर पाये, उसमें उनकी राशि में 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी और विलंब से एच.डी.पी.ई. बारदाने की आपूर्ति करने के संबंध में आपूर्तिकर्ता से .5 प्रतिशत प्रति सप्ताह कटौती करने के निर्देश भी दिया गया था और विलंब से आपूर्ति करने के कारण वर्तमान में उनकी 10 प्रतिशत राशि रोकी गई है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोरा सरकार के द्वारा लिया गया, इसके बाद में किसानों से कहा गया कि हमारे पास बोरा नहीं है, आप अपने बोरे की व्यवस्था करके लाईए । किसानों ने बाजार से बोरा क्रय किया और बोरा क्रय करने के बाद में धान बेचा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिस रेट में आपने बोरे की खरीदी की है और आपने किसानों को 15 रूपए प्रति बोरा के हिसाब से भुगतान किया है । किसानों ने 60-70 रूपये में बोरा खरीदकर लाये हैं, इन्होंने खुद 55-60 रूपये में बोरा खरीदा है । मंत्री जी, जो बोरा वे खरीदकर लाये हैं, आपका जो सरकारी रेट है, उसके दर के अनुसार आप किसानों को बोरे का भुगतान करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 15 रूपये प्रति बोरे के हिसाब से किसानों से लिये हैं, हम उसका भुगतान करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक विषय है। किसानों का शोषण है। जब आप सरकार में हैं और बोरा खरीद रहे हैं, शासकीय एजेंसी से खरीद रहे हैं, वह तो दुकान में जाकर कहीं-कहीं से ज्यादा रेट में लेकर आये हैं। उसके बाद उसके बोरे को उस रेट में नहीं खरीदा जाना, उनका भुगतान नहीं करना, यह सरासर अन्याय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे जिस रेट में लाये हैं, आप यहां पर घोषणा करें। मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप किसान का शोषण बंद करें और उस रेट में बोरे का भुगतान करने की घोषणा करें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शोषण नहीं है। पहले भी खरीदी होती रही है। मैंने बताया वर्ष 2017-18 में इसकी कीमत 12 रूपये थी, उसके अनुसार से उनको भुगतान

किया गया। उसके बाद वर्ष 2019-20 में इसकी कीमत 14 रूपये थी, उसके अनुसार से भुगतान किया गया। आप भुगतान कब रहे थे, जब पूरी खरीदी हो जाती थी, उसकी जांच हो जाती थी, पूरा मिलान होने के बाद उसका भुगतान करते थे। अभी हम लोगों ने ही तय किया है कि पूरे किसानों को तत्काल भुगतान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- और सुन लीजिए। शिवरतन शर्मा जी, पूरक प्रश्न कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 58 रूपये के हिसाब से हमने प्रति नग बारदाना खरीदा है और आप किसानों को बारदाने का भुगतान 15 रूपये के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे यहां परंपरा यह है कि कस्टम मिलर से जब धान उठाकर लेकर आता है और वह जो बारदाना खाली होता है, उसी बारदाने में वह चावल जमा करता है। 58 रूपये में बारदाना खरीदने के पश्चात किसानों को 15 रूपये बारदाने का पेमेंट करने के लिये आपने आधार तय किया है, क्या आधार तय किया है ? यह 15 रूपये आपने किस आधार पर तय किया कि हम किसान को 15 रूपये पेमेंट करेंगे ? यह तय करने का आधार बता दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भारत सरकार किसानों के बोरे का भुगतान नहीं करता है, इसको तो राज्य सरकार तय करती है। आपका जो जूट बोरा है, वह तो नया बोरा है। यह जो किसानों से लिया गया है, वह पुराना बोरा है। इनको व्यवस्था के तहत लिया गया था। हम पहले जितना भुगतान करते थे, उतना ही भुगतान अभी भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आधार पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आधार नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है, मैंने बहुत प्वाईंटेड प्रश्न किया है। आपने मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या तय किया ? आप आधार बता दीजिए, बस मैं आपसे यह आग्रह करता हूं ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- कभी केन्द्र सरकार से बात कर लिया करो। आप लोग न कभी चिट्ठी लिखते हो न किसानों के बारे में कुछ बोलते हो। आप लोग खाली राजनीति करने के लिये घड़ियाली आंसू बहाते हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने आपसे नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बोरा खरीदने की जूट कमिश्नर से या केन्द्र सरकार से आपकी बाध्यता है क्या ? अगर बाध्यता नहीं है

तो जूट कमिश्नर ने कहा कि हम इतने बारदाने उपलब्ध करायेंगे तो बाकी बारदाने के लिये आपने प्राईवेट मिलों से खरीदने के लिये आपने कब आर्डर दिया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व के वर्षों में भी भारत सरकार की जो गाईडलाईन है उसी के आधार पर जूट कमिश्नर से ही खरीदी जाती रही है। चूंकि सभी राज्य अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाते हैं, उसी के तहत जूट कमिश्नर से खरीदी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका स्पष्ट प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार जूट कम कमिश्नर से खरीदने के लिये बाध्य है ? आप प्राईवेट को क्यों कॉन्टेक्ट नहीं किये, इसका जवाब दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पूर्व के वर्षों से ही जूट कमिश्नर के माध्यम से ही बोरे की खरीदी होती रही है। चाहे वह वर्ष 2017-18 का ले लें। हमेशा पहले से ही खरीदी होती रही है। चूंकि सब राज्यों को कितना बोरा खरीदा जाना है, वह कार्यादेश जारी करते हैं, उसके तहत हर राज्य को आंबटन होता है। उसके के अनुरूप खरीदी की जाती है1

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी का भी सुन लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आ रहा है, उधर जाने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि केन्द्र सरकार ने सप्लाई नहीं किया। केन्द्र सरकार तो इसमें कहीं इन्वाल्व है ही नहीं जूट कमिश्नर है और जूट कमिश्नर से कहीं खरीदने की बाध्यता नहीं है। ये चाहें तो टेंडर करके बाजार से भी खरीद सकते हैं और हमारी सरकार ने भी खरीदा है। सरकार इसकी जवाब को क्यों घुमाती है, उसको स्पष्ट जवाब दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया की पूर्व की भांति आपके समय भी खरीदी जाती रही है। पूर्व की भांति ही...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- जूट कमिश्नर मतलब, केन्द्र सरकार।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो प्रश्न पूछते हैं, इधर उधर घुमाने के बजाय उसका प्वाईंटेड उत्तर आ जाये। आपने आज के ही प्रश्न में स्वीकार किया है, आप प्रश्नोत्तरी को देख लेंगे। आपने खुले बाजार से जेम पोर्टल से कितना गठान या कितना बोरा किस दर से खरीदी ? जेम पोर्टल से कितना किस दर से खरीदा ? जेम पोर्टल से कितना, किस दर से खरीदा ? उसके लिए भारत सरकार से क्या निर्देश थे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एच.डी.पी बारदाने की खरीदी की गई थी। हम लोगों ने 70 हजार गठानों का कार्यादेश जारी किया था, उसमें 37,512 गठानें ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रति बोरा कितनी दर से खरीदा था ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भारत सरकार के जो निर्देश थे, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जेम पोर्टल से ही खरीदी की जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रति बोरा किस भाव से खरीदा था ? मेरा यह बिलकुल छोटा सा प्रश्न है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति बोरा 20 रूपये 50 पैसे से लेकर 21 रूपये 75 पैसे प्रति बोरा के हिसाब से खरीदा था।

<u>रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल/बाउंड्रीवाल एवं शौचालय विहीन शालाएं</u>

5. (*क्र. 20) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल दिनांक 23-1-2021 की स्थिति में पेयजल/बाउंड्रीवाल/शौचालय विहीन है? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में बाउंड्रीवाल/शौचालय का निर्माण किया गया है एवं कहां-कहां पर पेयजल की व्यवस्था की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में संचालित केवल 02 प्राथमिक और 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल अहाता विहीन है, पेयजल विहीन तथा शौचालय विहीन की संख्या निरंक है. (ख) प्रश्नांश की अवधि में किसी भी शाला में अहाता का निर्माण नहीं किया गया है तथा शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में दो प्राथमिक शाला तथा एक हायर सेकेण्डरी शाला में बाउण्ड्रीवाल नहीं होने की जानकारी दी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की इन शालाओं में बाउण्ड्री निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में लघु निर्माण, अहाता निर्माण का काम था, धरसींवा हायर सेकेण्डरी स्कूल में किया गया था। अभी शांति नगर में किया गया है। अभी जो आपके 3 स्कूल्स बाकी हैं, उसका भी प्रस्ताव मिलेगा..।

अध्यक्ष महोदय :- कुलदीप जी तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, कर दीजये न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, अहाता की बात है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं अहाता, मैं दूसरे अहाते वाली बात नहीं बोल रहा हूं। मैं बाउण्ड्री वाल का बोल रहा हूं। कौन सा अहाता बोल रहे हैं, मालूम नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, बाउण्ड्री वाल, जो स्कूल में बनाते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अहाता किसको बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो बाउण्ड्री वाल की बात कर रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूनाभट्ठी और कालीमाता वार्ड में जो स्कूल हैं और डब्ल्यू.आर.एस. स्थित हायर सेकेण्डरी स्कूल में जो कमी है, आने वाले समय में ...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप सही-सही बोलिये। मंत्री जी, सही शब्द बोलिये न। आने वाले समय में जल्दी बना दिया जायेगा या जो बोलना है, बोलिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शाला में जो अहाता की बात है, उसको जल्दी कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी कर देंगे।

<u>बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही</u>

6. (*क्र. 1214) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र बेमेतरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र बेरला में वर्ष 2019-20 से दिनांक 03-2-21 तक अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई? (ख) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को रोके जाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की योजना बनाई गई हा, तो जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019-20 से दिनांक 03-2-21 तक अवैध प्लाटिंग करने वाले 24 व्यक्तियों को नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया है तथा श्रीमती सहोद्रा तिवारी पति चंदिका प्रसाद वार्ड क्र-05 मोहभट्टा के द्वारा किए अवैध प्लाटिंग को हटाया गया है. ††[2] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते नियम, 2013 के नियम 14 एवं 15 के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है. इस संबंध में अवैध प्लाटिंग रोके जाने के लिए राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश की संयुक्त टीम द्वारा सतत् निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानना चाहा था।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं ?

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं। जो कार्रवाई की गई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बेमेतरा जिला बनने के बाद वहां अवैध कालोनी में प्लाट काटे गये हैं, जो जमीन के दलाल हैं, उनका पिछली सरकार में हौसला बुलन्द था। पिछली सरकार के सरंक्षण में उन्हीं के लोगों ने हमारे गरीब किसानों को ठगने का काम किया है। बेमेतरा जिला बना तो आस-पास के गांव के किसान यह सोचकर आये कि हम बेमेतरा में रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इतना लंबा मत करो। प्रश्न करो।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इनके ही जिले का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तरदाता को कोरोना हो चुका है। यदि प्रश्नकर्ता उनसे ज्यादा देर तक चिपके रहेंगे तो वहां भी कोरोना का खतरा है। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आप कोरोना की चिंता कर रहे हैं। कुलदीप जुनेजा जी आते ही हम लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि ठीक मेरे पड़ोस में एक मंत्री बैठते हैं, वे कोरोना पाजीटिव हो गये हैं। दूसरे मंत्री ठीक मेरे पीछे में बैठते हैं, वे भी कोरोना पाजीटिव हो गये हैं। दोनों मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर देने की जवाबदारी मुझ पर है। तो उन्होंने प्रस्ताख रखा था कि क्या बगैर मंत्री के विधानसभा चल सकता है? वह बोल रहे थे कि हम लोगों को सदन में उपस्थित नहीं होना है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, दो मंत्री कोरोना पाजीटिव हो चुके हैं, दो विधायक कोरोना पाजीटिव हो चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द..।

अध्यक्ष महोदय :- अभी संसदीय सचिव का नंबर बचा है, वे लोग पाजीटिव नहीं आये हैं। (हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभी लोग डरे हुए हैं। सबके मन में भय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की सहमति लेकर जल्दी से जल्दी ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आज पहली बार मुख्यमंत्री जी मास्क लगाकर प्रवेश किए हैं। काफी देर तक लगाये थे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मुख्यमंत्री जी भी मास्क लगाकर आये हैं। सबके मन में भय है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों ने अवैध प्लाटिंग किया है और जो प्लाट खरीदे हैं, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। नगर पालिका यह बोलती है कि ये अवैध कालोनियां हैं, हम वहां सुविधा नहीं देंगे। जो लोग अवैध प्लाटिंग किये हैं, उन लोगों ने सुविधा नहीं दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से एक जांच की टीम जाये और जो-जो लोग अवैध प्लाटिंग किये हैं, उनको यह निर्देश दिया जाये कि वे लोग वहां मूलभूल सुविधा दें। लोगों को

मोहल्ले, घरों तक पहुंचने के लिए पक्की रोड रहे, नाली रहे, बिजली की व्यवस्था करें। वे यदि ऐसा नहीं करते तो आप उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक ही प्रश्न में दो बातें कह दीं। एक तो आप अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं और दूसरी बात उनको सुविधा मुहैया कराने की भी बात कर रहे हैं। एक बात करिए ना, फिर उस संबंध में निर्देश जारी हो जायेगा। आपका जो प्रश्न है उसमें पूरी सूची दी हुई है कि कितनी कालोनियां हैं। इसको सुविधा देने का काम और वैध, अवैध का काम अर्बन बॉडी का काम है। लेकिन आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं कि उसमें सुविधाएं दी जाएं या उसे अवैध घोषित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई भी हो और सुविधा भी मिले। इसमें लोगों का दोष नहीं है, लोग तो ठगे गये हैं, वे बेचारे अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहते क्या हैं?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्रवाई चाहता हूं। वहां लोकल स्तर से न होकर यहां के अधिकारी जाकर जांच करें, उनको सुविधाएं मिलें और जो प्लाट काटे हैं वे जमीन दलाल यदि वे सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनसे वसूली की जाए।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वह अर्बन बॉडी जाकर देखता है, उसके क्षेत्र का मामला है कि जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं उसे कैसे मुहैया कराया जाए। दूसरा- यदि अवैध है तो उसमें कार्रवाई भी होना चाहिए। तो आप चाहते हैं तो मैं या तो अर्बन बॉडी को निर्देश दे दूंगा, आप रहें, ये जो उत्तर मिला है जितनी कालोनियों को वैध-अवैध माना गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे कैसे व्यवस्थित करना है नगरीय प्रशासन विभाग के साथ आप बैठ जाईये, वह तो हमारा दायित्व है, यह सरकार की ड्यूटी है, उसे करेंगे। आप जिस स्तर के भी अधिकारी कहेंगे उसे हम भेज देंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

<u>जिला महासमुन्द में राजस्व प्रकरणों के लंबित प्रकरण</u>

7. (*क्र. 1460) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण वर्ष 2017-2018 से दिनांक 04-02-2021 तक पंजीबद्ध किये गये? तहसील, न्यायालयों के नाम सहित पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" में पंजीबद्ध प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का राजस्व न्यायालयों द्वारा निराकरण किया गया कितने प्रकरण लंबित है? राजस्व न्यायालय के नाम सहित वर्षवार जानकारी

देवें? (ग) जिला महासमुन्द अंतर्गत विभिन्न तहसील, अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला राजस्व न्यायालय में नामांतरण त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण लंबित है? तहसील एवं जिला न्यायालय अनुसार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में वर्ष 2017-18 से दिनांक 04-02-2021 तक नामांतरण के 5883 एवं त्रुटि सुधार के 1113 प्रकरण दर्ज किये गये. तहसील न्यायालयवार जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर †[3] संलग्न है. (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में से नामांतरण के 3421 एवं त्रुटि सुधार के 406 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं नामांतरण के 2462 एवं त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित है. राजस्व प्रकरण के नाम सहित वर्षवार जानकारी क्रमशः प्रपत्र "अ" , प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" पर † संलग्न है. (ग) जिला महासमुन्द अंतर्गत नामांतरण के 2462 त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित है. न्यायालयवार जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

श्री किस्मतलाल नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से यह पूछा है कि महासमुंद जिले में वर्ष 2017 से लेकर 04 फरवरी, 2021 तक नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के कितने आवेदन प्रापत हुए एवं कितने प्रकरण लंबित हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी का जवाब आया है कि नामांतरण के 2462 प्रकरण और त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए समय सीमा तय करेंगे कि तहसीलदार कितने दिनों के अंदर ये नामांतरण और त्रुटि सुधार की कार्रवाई पूर्ण करे। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में ये मामले लंबित हो सकते हैं और ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। किसान तहसीलदार के चक्कर काटते रहते हैं और उनका नामांतरण और त्रुटि सुधार बिल्कुल नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, धन्यवाद। मंत्री जी, बता दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे जिले का मामला है और काफी वेग मामला है लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि नामांतरण के 2462 और त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित हैं। सरकार की ओर से लोक सेवा गारंटी का अधिनियम बना हुआ है, उसमें समय सीमा तय है। यदि नामांतरण अविवादित है तो उसे तीन महीने में निपटाना है, सीमांकन को तीन महीने में निपटाना है। इस प्रकार से लोक सेवा गारंटी में प्रावधान है। अगर कहीं विवाद या कोई डिस्प्यूट या किसी का आब्जेक्सन लगता है तो ये विलंब होना स्वाभाविक है। उसके बावजूद भी न केवल महासमुंद जिले में राजस्व विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश किया हुआ है कि अभियान चलाकर ये नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे जो किसानों के मामले हैं उसे जल्दी निपटारा करना चाहिए। चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है स्पेशिफिक उनके जिले में यह आदेश जारी कर दिया जायेगा।

[3] परिशिष्ट "तीन"

जिला रायगढ़ में भुईयां सॉफ्टवेयर में किसानों के जमीन का इंद्राज

8. (*क्र. 337) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में भुईंया सॉफ्टवेयर में कितने किसानों को जमीन दर्ज करना शेष है? तहसीलवार किसानों की संख्या एवं खसरा की जानकारी बताएं? (ख) क्या ऑनलाईन रिकार्ड में त्रुटि होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत का निराकरण किया गया है या नहीं? तहसीलवार पटवारी हल्कावार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला रायगढ़ में कुल 1485 ग्रामों के 1475 में कुल 378846 किसानों का भुईयां सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लिया गया है. एवं 10 ग्रामों का शेष है. 10 ग्रामों के अतिरिक्त किसी भी तहसील में किसानों की जमीन दर्ज करना शेष नहीं है. (ख) ऑनलाईन रिकार्ड में त्रुटि संबंधी शिकायत 1 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त हुई है. जो निम्नानुसार है. जिसका निराकरण कर लिया गया है :—

क्र.	तहसील का नाम	कुल पटवारी हल्का	कुल किसानों की संख्या	कुल सुधार किये गये खसरा नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायगढ़	54	900	1884
2.	पुसौर	42	1046	1839
3.	खरसिया	41	589	2064
4.	सारंगढ़	23	665	2514
5.	बरमकेला	20	73	189
6.	घरघोड़ा	9	52	106
7.	तमनार	15	180	613
8.	लैलूंगा	22	96	146
9.	धरमजयगढ़	56	206	298
	योग	282	3807	9653

तहसीलवार हल्कावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि रायगढ़ जिले में भुईंया साफ्टवेयर में कितने किसानों की जमीन दर्ज है और किसानों की

संख्या क्या है? माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 9653 किसानों का भुईंया साफ्टवेयर में दर्ज नहीं है। साफ्टवेयर में दर्ज नहीं होने के कारण किसानों को अपनी जमीन का पता नहीं चल पा रहा है जिसके कारण पटवारी भी सही ढ़ंग से रिकार्ड नहीं निकाल पा रहे हैं और न ही किसान को अपनी जानकारी मिल पा रही है। तो इस प्रकार के प्रकरणों का क्या जल्द निराकरण कर लिया जायेगा क्या?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, ये भी पूरे रायगढ़ जिले का प्रश्न था और इसमें 9653 किसानों का जिस प्रकार से आपने कहा, अब इस संदर्भ में तो ठीक पंजीयन के पूर्व भी सरकार ने निर्देश दिये थे कि भुईंया को जोड़कर ही पंजीयन कराना है और सरकार ने अभियान चलाकर भुईंया के साफ्टवेयर में ऑनलाईन व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ने जो बताया कि बकाया है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं । जिला प्रशासन को इसमें निर्देश जारी करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं, यह जो प्रकरण है उसी दिवस के पहले के हैं, उसमें और कुछ सुधार हो गया है उसके बावजूद भी लंबित हैं तो उसको हम निराकृत करेंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि मंत्री जी भी हैं और राजस्व मंत्री जी भी हैं। आज दोनों का संयोग मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी धान खरीदी के समय जब गिरदावरी हुआ तो उसमें किसानों का रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं होने के कारण कई बार मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना पड़ा कि उसमें किसान का पंजीयन में रकबा छूट गया है उसको जोड़ा जाए। उसी प्रकार मैं इस प्रश्न से हटकर इसी विभाग से संबंधित मैं बताना चाहूंगा कि जब किसान लोग पंजीयन कराते हैं उसमें किसानों का भी मुआवजा रेलवे का मुआवजा, किसी भूमि अधिग्रहण का मुआवजा होता है किसान अपना डबल फसल कर लिया, सिंचाई का साधन कर लिया है उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने के कारण उसको के.सी.सी. और मुआवजे में नुकसान होता है इसी तरह से अलग से कैम्प लगाकर, इसको करने का प्रयास करेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभविक है। यह राजस्व विभाग में आवश्यक भी है इसलिए समय-समय पर निर्देश जारी होते हैं और जैसा आापने कहा कि भुईंया के साफ्टवेयर में अगर वह दर्ज हो गया तो किसानों को कोई तकलीफ नहीं होती इसके लिए सरकार के आदेश लगातार जारी हैं गिरदावरी के बाद भी और पंजीयन के पूर्व भी हम लोगों ने ऐसे निर्देश जारी किये थे, उसके बावजूद भी संख्या को देखते हुए जैसे आदरणीय सदस्य चाहते हैं मैं निश्चित रूप से रेवेन्यु विभाग से निर्देश जारी करेंगे और केवल आपके जिले में नहीं, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए भुईंया के साफ्टवेयर में किन लोगों की और तकलीफें हैं वह छूट गया है उसके लिए मुख्य सचिव जी से कहेंगे कि सारे कलेक्टरों को निर्देश देंगे। इसको कैम्प लगाकर, इसको कर दिया जाए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है धन्यवाद्।

स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूल की स्वीकृति

9. (*क्र. 1590) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि प्रदेश में स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 04-2-21 तक किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया है, व किन स्कूलों को चालू करने नवीन स्वीकृति जारी की गई है? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति प्रश्नांश "क" अवधि में दी गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. 01 जनवरी 2019 से दिनांक 04-02-2021 के मध्य 18 शा.पूर्व माध्यमिक स्कूलों को हाईस्कूल एवं 22 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया गया है. विधानसभावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी स्कूल का उन्नयन अथवा नवीन स्कूलों की स्वीकृति प्रश्नांश "क" अवधि में नहीं दी गई है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकास की इबारत लिखी जा रही है। मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस सरकार की शिक्षा के प्रति कितनी गंभीरता है और इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 04-2-21 तक किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया है, स्कूल खोले गए, कितने हाई स्कूल, हायर सेकेण्डी स्कूलों का उन्नयन हुआ तो मंत्री जी का जवाब आया है कि कुल मिलकार वर्ष 2019, 2020, 2021 में अभी तक फरवरी तक जो स्थिति बताये हैं उसमें कुल मिलकार 40 स्कूल खोलने और उन्नयन करने का माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि "बांटे रेवड़ी तो चिन्ह-चिन्ह के दे"। मैं उसमें देख रहा था कि कितना दिया हुआ है तो मंत्री जी आपने एक अकलतरा में दिया है और एक धमतरी में दिया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है और मैंने दूसरा सोचा कि अभी वर्ष 2020-21 में कुछ करेंगे तो वर्ष 2020-21 का निरंक आया है। मतलब आपने कुछ नहीं किया। कहीं भी कुछ नहीं किया तो मैंने सोचा कि आपके पास में कोई पूरक जवाब आया होगा कि आप कुछ किये हैं तो इसमें निरंक लिखा हुआ है। यह सही है तो फिर मैं आगे बढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बताईये जल्दी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में जैसा प्रश्न के उत्तर में आया है हमने हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल भी खोला है। वर्ष 2020-21 में हालांकि कॉपी में तो उल्लेखित है, लेकिन कोरोना काल था उस समय कई काम नहीं कर पाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे एक अच्छी बात है, इस सरकार के पास में सारी समस्याओं का एक निदान है, वह सारी समस्याओं का एक निदान कोरोना है कि कोरोना है हम क्या करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय नेता जी, आप पहले यह बताईये कि कोरोनाकाल है या नहीं ? सब प्रभावित हो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यह कह रहा हूं कि सरकार की सारी समस्याओं का एक हल कोरोना है। कुछ नहीं करना है, केवल कोरोना है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विधायक कोरोना पॉजीटिव आ गये हैं। यह चिंता का विषय है, सदन को इस बारे में चिंता करनी चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय कोरोना देवी के ऊपर व्यंग्य और हास्य मत करिये। जो-जो लोग व्यंग्य किये हैं न, सबको कोरोना होते जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको हो चुका है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो भुक्तभोगी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- इनको हो चुका है इसलिए खतरा नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- देश के प्रधानमंत्री जी दाढ़ी नहीं बना रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब उधर से शुरू हो गया है। अध्यक्ष जी बोले हैं कि विधायक, मंत्री हो को गया, अभी संसदीय सचिव का बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्कूल उन्नयन या नया स्कूल खोलने के विषय में, अतिरिक्त कमरा बनाने के विषय में प्रश्नकर्ता के द्वारा आपको कोई पत्र लिखा गया था, हां या नहीं ? यदि पत्र लिखा गया था तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं इस मामले में व्यवस्था दूं। आज मंत्री जी आपके कक्ष में चाय पीने के लिए आयेंगे। आप अपने सुझाव उनको बता दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल विधानसभा का जरूर है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सब ठीक है। यह मसला सभी विधायकों का है।

अध्यक्ष महोदय :- वह सभी का है इसीलिए बोल रहा हूं कि अपने सुझाव बता दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, अगर वहां चाय पीने के लिए जायेंगे तो उन्हीं की बात सुनेंगे न। इसलिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू जी का प्रश्न है। वह भी आ जायेगा, इसलिए मैं चाहता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आ जायेगा। आप माननीय मंत्री जी को यह तो बोल दीजिए कि कम से हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी के उन्नयन में हम लोगों का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सबका ख्याल रखियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो कई साल से किये नहीं हैं और जो किये हैं अपने हिसाब से किये हैं। थोड़ा सा सब लोगों का ख्याल रखिये।

अध्यक्षीय निर्देश

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू जी। अगर आप लोगों को बुरा न लगे, इसके बाद एक मिनट मैं लूंगा, प्रश्नकाल है। एक माननीय सदस्य का ये परिशिष्ट है जो यहां उपस्थित भी नहीं हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक प्रश्न का परिशिष्ट इतना बड़ा हो ? क्या समय काल की कोई चिंता आप लोगों को करनी चाहिए ? मैं आज से माननीय प्रमुख सचिव को व्यवस्था देता हूं, आदेश देता हूं कि ऐसे प्रश्न को स्वीकृत न करें। श्री धनेन्द्र साहू जी।

तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदस्य यहां पर प्रश्न करते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- व्यवस्था आ गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- व्यवस्था आ गई है, मैं उसके बाद भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :-मैं इतने ज्यादा परिशिष्ट का बात कर रहा हूं। (सदन को परिशिष्ट से मुखातिब कराते हुए) यह देखिये। पहले धनेन्द्र साहू जी को प्रश्न करने दीजिए, उसके बाद सुन लूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे ज्यादा से ज्यादा नहीं करके संक्षिप्त में करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, खरसिया टर्न की में चार बंडल पटल पर रखे गये थे, अवगत कराईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अभी वही बता रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, पुरानी परंपराओं से व्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है। पुरानी परंपराओं से ही व्यवस्था का निर्माण होता है।

प्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वितरित राशि

10. (*क्र. 1251) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में 05-02-2021 तक बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? (ख) उक्त राशि में से कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? जिलेवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत कार्य कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बस्तर जिले को रुपये 100.00 लाख तथा कोण्डागांव जिले को रुपये 33.08 लाख का आवंटन दिया गया है, शेष जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि आवंटित नहीं की गई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-2021 तक किसी भी जिले को बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. (ख) उक्त राशि में से जिला बस्तर एवं जिला कोण्डागांव में कराये गये कार्यों का विवरण †† संलग्न[4] परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि वर्ष 2019-20 से लेकर अभी तक बाढ़ राहत आपदा में सिर्फ दो जिले कोण्डागांव और बस्तर को छोड़कर शेष प्रदेश के किसी जिले में भी विगत 3 वर्षों में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किन कारणों से बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत आवंटन नहीं किया जा रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय धनेन्द्र भैया, अब जिलों का उत्तर तो आपके सामने है। लेकिन राशि का अभाव नहीं है। प्रथम अनुपूरक में 480 करोड़, तृतीय अनुपूरक में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है नंबर एक। दूसरा 2019-20 में 292 करोड़ और 2020-21 में 321 करोड़ की व्यवस्था है। लेकिन कोविड-19 के चलते कुछ राशि उसमें भी खर्च की गई, ओला प्रभावित मुआवजा में भी खर्च की गई। मरम्मत हेतु राशि अभी उन जिलों में नहीं दी गई है। उत्तर ये था। राशि नहीं है या जिलों को छोड़ दिया गया है, उत्तर ये नहीं है। धनेन्द्र भैया, कुल मिलाकर यह है कि यह जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, इसके कारण है लेकिन राशि का अभाव नहीं है। जैसे ही हम लोग इससे मुक्ति पायेंगे, यह राशि जिस प्रकार से आप लोगों का प्रस्ताव होगा, खर्च की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- जी।

---

[4] परिशिष्ट "पांच"

<u>राजनांदगांव जिले में लंबित राजस्व प्रकरण</u>

11. (*क्र. 1641) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुये? तहसील अनुसार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया कितने आवेदन सीमांकन हेतु लंबित है? लंबित होने का कारण क्या है? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण करते हुए सीमांकन किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनादगांव जिले अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 4340 आवेदन सीमांकन हेतु प्राप्त हुये है, जो निम्नानुसार है :—

क्र.	तहसील का नाम	सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन
1.	छुईखदान	203
2.	खैरागढ़	741
3.	डोंगरगढ़	595
4.	छुरिया	308
5.	राजनांदगांव	1408
6.	डोंगरगांव	336
7.	अं. चौकी	350
8.	मोहला	214
9.	मानपुर	185
	योग	4340

(ख) कुल 4340 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 3045 आवेदनों पर सीमांकन किया गया तथा 1295 सीमांकन हेतु लंबित है. लंबित होने का कारण तथा वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न[5] है. (ग) लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय-सीमा के तहत आवेदनों का निराकरण किया जावेगा.

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी मांगी थी कि सीमांकन के कितने आवेदन प्राप्त हुए।

[5] परिशिष्ट "छ:"

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखता हूं ।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13, दिनांक 6 जनवरी, 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13, दिनांक 6 जनवरी, 2021 पटल पर रखता हूं ।

पूच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के ऊपर में बात कर रहे हैं । अभी दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र बठेला में 5 लोगों की हत्या हो गई, परिवार के बाप और बेटे एक ही फांसी के फंदे पर लटके हुए देखे गये, आज हम महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई दे रहे थे, 3 महिलाओं की हत्या हो गई और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के ही विधानसभा क्षेत्र खुडमुड़ा में 4 हत्याएं हुईं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई । शासन के द्वारा बिना जांच किये समाचार-पत्रों में यह छपवाया जाता है, पहले दिन यह नहीं आता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवार के लोग यह बोल रहे हैं कि हमने अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुका दिया, पुलिस सच्चाई सामने लाये । यह दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी के जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बद्तर है कि पहले 4 लोगों की हत्या होती है फिर 5 लोगों की हत्या होती है, बिना जांच किये पुलिस इस बात को चूंकि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि कभी किसी महिला को बता देते हैं कि इस किसान ने आत्महत्या इसलिए की कि उसकी पत्नी बद्चलन थी, किसी किसान ने इसलिए आत्महत्या की कि उसके ऊपर में कर्जा था, आज के समय पर बिना किसी पुख्ता जानकारी के 5 लोगों की मुख्यमंत्री के जिले में हत्या का हमारा आरोप है और अभी तक 4 लोगों की खुडमुड़ा में जो हत्या हुई,

हमारा कहना है कि जमीन माफिया ने इस पूरे प्रदेश को आतंकित करके रखा है और उनके कारण पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, शासन के द्वारा उनको बचाने की कोशिश की जा रही है । सरकार यह तो बता देती है कि हमको उसकी आत्महत्या की 10 पेज की डॉयरी मिली है, उसने आत्महत्या के लिये किसके ऊपर आरोप लगाया है, यह सब हमको नहीं बताती, उस डॉयरी की बिना जांच किये, यह उसकी राईटिंग एक्सपर्ट से जांच हुई है, यह उसकी राईटिंग थी कि नहीं थी, यह सरकार ने कैसे बता दिया ? यह सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें यहां पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है ? इसके पहले अभनपुर में एक परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली । हमने यह विषय इसी सदन में उठाया था कि छत्तीसगढ़ में यह परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं ? आखिर एक ही परिवार के 5-5 लोगों की हत्या क्यों हो जाती है ? हम आज महिला दिवस मना रहे हैं । उसकी बेटी की हत्या, पत्नी की हत्या, मां की हत्या, बाप और बेटा ऐसे जुडे हुए फांसी पर लटके हुए दिखायी दे रहे हैं, इस सरकार को शर्म नहीं आती, उसको आत्महत्या बताती है । क्या कभी इस प्रकार से जुड़वा लटककर कोई आत्महत्या कर सकता है ? यह शर्मनाक मामला है । हम चाहेंगे कि चूंकि बजट सत्र में सामान्यत: आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाते परंतु यह गंभीर मामला है, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का मामला है, आपको इसके ऊपर चर्चा करवानी चाहिए और हमारा सीधा-सीधा आरोप है कि हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं को छिपाने के लिये उसको आत्महत्या के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) उसको दबाया जा रहा है । झूठी आत्महत्या का पत्र बनाया गया है, उनके परिवार के लोगों के पास 10 एकड़ जमीन है । कोई कर्जा नहीं है, पुलिस कैसे कह रही है कि कर्जे के कारण उसने आत्महत्या की है ? बिना जांच के 5-5 हत्याओं को आत्महत्या के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करना यह पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ यह अन्याय और अत्याचार है, यह शर्मनाक परिस्थितियां हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में अगर ऐसा होगा तो पूरे प्रदेश का क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने देख लिया है, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । श्री धर्मजीत जी ने भी हाथ उठाया था । श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- पण्डरिया तहसील के पलानसरी गांव के किसानों की जमीन को सिंचाई विभाग के लोगों ने ले लिया है । तीन साल से उनके मुआवजे की राशि कलेक्टर के यहां पड़ी हुई है । पलानसरी गांव के करीब-करीब 28 करोड़ का मुआवजा पड़ा हुआ है और उनको 3 साल से नहीं मिल रहा है । आज मेरा प्रश्न था, मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है । प्रश्न तो नहीं आ पाया, इसलिए मैं रविन्द्र चौबे जी से यह निवेदन करूंगा कि कृपा करके उन किसानों को मुआवजा दिलाइए । अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह ।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसान बहुत परेशान हैं और

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह ।

श्री धर्मजीत सिंहस :- आपकी लालफीताशाही के कारण उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दे रहे हैं अपना समय, उनको आप कह रहे हैं कि अपना समय उनको दे रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं अपना समय।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चंद्राकर जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी कि ये सदन नियमों से चलेगा । अगर प्रतिपक्ष के लोग किसी एक विषय को उठा रहे हैं तो बाकी सदस्यों को उस विषय को उठाने का मौका पहले मिलना चाहिए । आपने उन सदस्यों को उस विषय को उठाने का मौका, अगर आप नियम से चला रहे हैं तो हमारे सदस्य, या तो नियम से चल रहा है या परम्पराओं से चल रहा है । एक चीज तय हो जाए । अगर नियमों से चल रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी निर्देश पर चल रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर हम हत्या का मामला उठाना चाहते हैं, हमारे सदस्य उठाना चाहते हैं तो पहले हमारे सदस्यों को मौका मिलना चाहिए । दूसरे विषय पर चर्चा की अनुमति आप उसके बाद दें । यह परम्परा रही है और उसमें नियम के अनुसार भी देखेंगे तो यही है । ऐसा ही अवसर सबको प्रदान होना चाहिए, आपसे इस बात का आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय आप भाजपा दल से हैं । वो जोगी कांग्रेस से हैं । चूंकि वे भी जोगी कांग्रेस के नेता हैं तो सुनना तो पड़ेगा ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारी सुनने के बाद उनकी सुनिये । हमारे सदस्यों की बात सुनने के बाद, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया, वे कोई दूसरा विषय उठा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय को हल्का करना, उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- हमें क्या मालूम वे हल्का कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- फिर आसंदी पर आरोप । क्या आरोप लगा रहे हैं आसंदी के ऊपर ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मेरे ऊपर आरोप नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- आसंदी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आसंदी का सम्मान हम लोग जितना करते हैं, उतना आप लोग नहीं करते । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन सरकार की अगुवाई पर चलता है । व्यवधान

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय धर्मजीत जी को अवसर मिलता ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप शांत रहिए । कौशिक जी बोलेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं भी हाथ उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी को बोलने दीजिए ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मत बोलो आखिरी में बोलना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने पहले सौरभ का नाम पुकारा, सौरभ बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ नहीं बोलना चाहता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं भी लगातार हाथ उठा रहा हूं शून्यकाल की सूचना के लिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जबरन किसी से बोलवाएंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- महत्वपूर्ण घटना है ।

अध्यक्ष महोदय :- महत्वपूर्ण घटना है इसलिए मैं नये-नये विधायकों को मौका दे रहा हूं ये लोग वरिष्ठ विधायक हैं बाद में बोलेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक बोल रहे हैं तो पहले उनको बोलने दीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा रही है कि वरिष्ठ सदस्यों का नये सदस्य सम्मान करते हैं और वे सम्मान में चाहते हैं कि वरिष्ठ सदस्य पहले बोले तो आप अवसर देते हैं, हम लोग नाम देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो नेता प्रतिपक्ष को बुला रहा हूं, वरिष्ठतम् ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष सबसे वरिष्ठतम् होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे बाद में बोलना चाहते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष सबसे वरिष्ठतम् हैं उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सदन की परम्पराओं से, हॉउस ऑफ कॉमन्स भी परम्पराओं से चलता है । आप तो गए हैं । हाऊस ऑफ कॉमन्स में कोई लिखित नियम नहीं हैं । परम्पराओं के आधार पर चलता है और परम्पराओं के आधार पर सदन को चलना चाहिए । परन्तु यदि आप परम्पराओं के आधार पर सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियां औचित्यपूर्ण नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी के निर्णय पर हर बार प्रश्न । आसंदी जो भी निर्णय कर रही है, उस पर हर बार प्रश्न लगाया जा रहा है । आपने माननीय धर्मजीत जी का नाम

पुकारा । इन्होंने कह दिया कि आप विषय को हल्का कर रहे हैं । आसंदी से जो जो बातें आएंगी, जिनका जिनका नाम पुकारा जाएगा । उसको तो आना ही चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- हमारा आरोप आसंदी पर नहीं, सरकार पर है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शून्यकाल में बोलने का अधिकार सबको है, हम भी सदस्य हैं और सबको अवसर मिलना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसने मना किया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बोल दीजिए ना कि शून्यकाल नहीं चलेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने मना नहीं किया है, आप बोलिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने का अवसर दिया गया उसके बाद भी आपत्ति कर रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार बोल दे कि शून्यकाल नहीं होगा । शून्यकाल बंद कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, मुझे एक स्थगन की जानकारी मिली, जिसे आपने दिया था, इसलिए मैं चाहता था..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर दो मिनट बात रहा हूं। सामान्यतया, किसी के बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह है कि मान लीजिए हम लोगों ने स्थगन की सूचना दी है तो जो-जो स्थगन में नाम दिये हैं, एक बार उसकी चर्चा हो जाती है, वे बोल लेते हैं। बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है और वे भी अपना विषय रखते हैं। इसलिए हमारा आग्रह यह है कि एक बार हमारे जो सदस्य हैं, जो जिन्होंने स्थगन दिया है, उसमें नाम भी है। सूची देने की परंपरा इसलिए नहीं है कि आप ग्राह्य कर लेंगे तो हम सूची देंगे, लेकिन सामन्यतया स्थगन आपके पास है..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे सूची मांग ही नहीं रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- और स्थगन आपके पास है तो हम इस स्थगन पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास सबेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली, जिसमें आपका नाम प्रथम था, इसलिए मैंने आपको पुकारा, बाकी लोगों की तो सूचना मिली नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने आग्रह किया कि बाकी लोगों को बोलने दीजिए। मैं फिर बोलूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसे स्वीकार करके चर्चा कराना चाहेंगे या ग्राह्यता पर चर्चा करेंगे तो आप उसके हिसाब से नाम पुकारेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन जी तो बोलते हैं कि सबसे वरिष्ठ को बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अदरवाइस अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा रही है कि जो सदस्य हाथ उठाते हैं, उन सदस्यों को पहले बोलने दें। यह हमारे दल की अंर्तगत धारणा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैय्या ने पहले हाथ उठाया है। मैंने तो यहां से देख रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। जो सदस्य हाथ उठाते हैं, उन्हें मुझे बात करने देनी चाहिए। अगर वे भी अपने दल के नेता हैं तो मुझे क्या मालूम कि किसे चाह रहे हैं ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उधर देख रहा था। वे इशारा कर रहे थे, इधर से बुलवाइए। वे इशारा कर रहे थे, इधर से बुलवाइए, फिर भी आपने उन्हें खड़ा किया। वे इशारा कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए माननीय सदस्य जी, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठिए। आप भी बैठ जाइए।(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक) आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। माननीय नेता जी मैं आपको सुनना चाहता था। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मैं इस बात को जानता हूं कि आसंदी में आप मेरे से पहले विराजमान थे। यहां के नियम, कानून और परंपरा के बारे में आपको भी जानकारी है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से चाहिए कि 1980 से मैं इस क्लास रूम में बैठता हूं। 5 चुनाव विधायक के और 5 चुनाव संसद के लड़ चुका हूं और कुल मिलाकर 8 बार सदन का सदस्य रहा हूं। मुझे परंपरा की भी जानकारी है और आसंदी के नियम की भी जानकारी है। मगर कुछ सदस्यों को परंपरा और नियम में आजकल बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। मैंने किसी सदस्य को किसी बात को सुनने के लिए मना नहीं किया है। मगर चूंकि नेता वे भी हैं, आप नहीं बोलना चाहते थे। मैंने उनको बुलाया। वो बोल लेंगे, उसके बाद वो बोल लेंगे। मेरा सोचना यह है कि जो नये सदस्य हैं, वे पहले बोल लें। बड़े सदस्य के बोलने के बाद उन्हें बोलने को नहीं मिलता। सौरभ सिंह को बुलाया। उन्हें सुन लेता हूं। नहीं कहना चाहते तो मैं शर्मा जी को सुन लेता हूं। उसमें क्या दिक्कत है ? चंदेल जी ने भी हाथ उठाया। आप कहते हैं कि मेरे जिले के हैं, उन्हें सुनना चाहिए। अब ये माननीय हाथ उठा रहे हैं। तो या तो आप लोग नियम बना दीजिए कि मुझे पहले किसकी सुननी है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, नियम हम लोग नहीं बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- महोदय, परंपरा और नियम मैं भी जानता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके नियम सरआंखों पर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नियम मैं भी जानता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जो व्यवस्था देंगे, उसे हम स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी जानता हूं कि परंपरा और नियम क्या होता है। (मेजों की थपथपाहट) मैं भी चिल्ला सकता हूं। मगर मैं धीरे बोलता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आप अगर इस सदन को जोर से बोलकर चलाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप डरा रहे हैं। आप डरा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा तो काम है जोर से बोलना। हम विपक्ष में हैं। हमारा काम जोर से बोलना है और अध्यक्ष हमेशा सभी सदस्यों को बराबरी का दर्जा देते हैं। अध्यक्ष कभी नाराज नहीं होते। आपको तो नाराज होना ही नहीं चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप अध्यक्ष की बात को सुन नहीं रहे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको तो नाराज होना ही नहीं चाहिए। आपको नाराज होने का अधिकार भी नहीं है। आपको नाराज होने का अधिकार भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे नाराज होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब आप रोज-रोज उसी बात पर बात करेंगे। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जोर से बोलने में भी शालीनता होनी चाहिए। शालीनता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको नाराज होने का अधिकार नहीं है। आपको तो मुस्कुराना चाहिए। आपको तो मुस्कुराना चाहिए। आपको मुस्कुराकर बात करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी आवाज कुछ सदस्यों को नहीं सुनाई देती, इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूं। जिस तरह आप भी जोर से बोलते हैं तो आपको सुनाई देता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको तो विपक्ष को अवसर देना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन जी, आप तो अध्यक्ष जी का सुन कहां रहे हो।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, गरिमा का प्रश्न है। नियम का प्रश्न है, परंपरा का प्रश्न है, सब पालन करेंगे। उसमें क्या बात है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप तो अध्यक्ष को निर्देश देना चाह रहे हो। आप सुन कहां रहे हो। आप तो शिकायत कर रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई निर्देश नहीं दे रहा है। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई नहीं दे रही है तो मैं जोर से बोल रहा हूं।

मैं सबको सुन रहा हूं और सबको सुनूंगा और इसे (माइक) को और ज्यादा लंबा कर दीजिए। मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं देती।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय..।

समय :

12.14 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

समय :

12.15 बजे **(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सदन से प्रस्थान)**

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी। रजनीश कुमार सिंह जी। श्री धर्मजीत सिंह ।

समय :

12:15 बजे **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

<u>(1) रायपुर व बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग किया जाना</u>

(माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई.)

<u>(2) प्रदेश में बिना पंजीयन के निजी अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर्स संचालित होना.</u>

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- रायपुर राजधानी, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़, धमतरी जैसे प्रदेश के मुख्य शहरों में निजी अस्पतालों की बाढ़ आ गयी है । जहां प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं निजी अस्पताल खुलते जा रहे हैं । इनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा है । जनवरी-फरवरी, 2021 के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाली है, रायपुर राजधानी में ही लगभग 200 निजी अस्पतालों का ना तो विधि सम्मत पंजीयन है, और ना ही विभाग के पास किसी प्रकार की सूचना । वहीं प्रदेश में 2000 से अधिक निजी अस्पताल का संचालन बिना लायसेंस के हो रहा है । नर्सिंग होम, मेटरलिटी होम, क्लिनिक, पैथालॉजी सेंटर से शहर का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। इन निजी अस्पतालों/सेंटरों को नियम कानून के पालन से कोई मतलब भी नहीं है, विभागीय अफसरों द्वारा ना तो इनकी कभी आकस्मिक जांच होती है, और ना कोई पूछताछ । जिला कलेक्टरों को भी समय नहीं है, नियम कानून के पालन कराने वाले उदासीन बने हुए हैं । यही हाल औषधि विक्रय केन्द्रों का है, पूरे प्रदेश में लगभग 50 हजार मेडिकल स्टोर संचालित हैं, जिसमें महज 12 हजार मेडिकल स्टोर्स का पंजीयन/अनुमति हुई है । हर जिले में औषधि नियंत्रक है, मगर वह भी नियमित निरीक्षण नहीं करते

हैं । प्रदेश के किसी भी जिला के औषधि नियंत्रक/लायसेंसिंग अथारिटी शासन के निर्धारित योग्यता को पूरा ही नहीं करता, प्रभारवाद के चलते मौका का फायदा उठाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखा है । पूरे प्रदेश में अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी लैब, बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर्स संचालन से प्रदेश की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में रायपुर राजधानी, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायगढ़, धमतरी जैसे मुख्य शहरों में निजी अस्पतालों की संख्या अधिक है । यहां जनसंख्या के मान से अस्पताल की संख्या जिलों की अपेक्षा अनुपातिक रूप से समान है । यह सही नहीं है कि जहां प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं पर निजी चिकित्सालय की बाढ़ आ गई है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में जहां शासकीय चिकित्सालयों में डॉक्टर की कमी है, वहां निजी अस्पतालों की संख्या नगण्य है । इसके साथ ही डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में राज्य गठन के पूर्व एकमात्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में संचालित था जिसमें वृद्धि कर वर्तमान में 06 शासकीय एवं 03 निजी मेडिकल कालेज संचालित हैं तथा 03 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित हैं । इन कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण कर लगभग 1200 चिकित्सक प्रतिवर्ष निकलेंगे, जिसके फलस्वरूप निश्चित ही प्रदेश के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी । विगत दो वर्षों में रिक्त पदों की पूर्ति नियमित/संविदा भर्ती के माध्यम से निरंतर की जा रही है । यह कहना सही नहीं है कि निजी अस्पतालों के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है । नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत निजी अस्पतालों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्रदान की जाती है । उक्त समिति के द्वारा आवेदित संस्था/चिकित्सालयों का निरीक्षण कर नर्सिंग होम एक्ट में निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर ही अनुमति प्रदान की जा रही है । ऐसी संस्था/चिकित्सालयों जो नर्सिंग होम एक्ट में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है उन्हें लाईसेंस प्रदाय नहीं किया जाता है । यह भी कहना सही नहीं है कि प्रदेश में 2000 से अधिक निजी अस्पतालों का संचालन बिना लाईसेंस के हो रहा है, आज दिनांक तक राज्य में कुल 3472 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को नियमानुसार लाईसेंस/अनुमति प्रदाय किया गया है । विभाग के द्वारा समय-समय पर समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बिना लाईसेंस/अनुमति के संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम, क्लिनिक, पैथालॉजी सेंटर इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है । ऐसी स्थिति में यह कहना सत्यता से परे है कि इन निजी अस्पतालों/सेंटरों को नियम कानून के पालन से कोई मतलब नहीं है और न ही नियम कानून के पालन कराने वाले उदासीन बने हुए हैं । यह भी स्वीकार नहीं है कि औषधि विक्रय केन्द्रों में केन्द्रों की जांच में किसी प्रकार की उदासीनता बनी हुई है वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में फरवरी 2021 की स्थिति में

कुल 15176 मेडिकल स्टोर्स संचालित है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि विक्रय को नियमित करने हेतु जिलों में सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों की पदस्थापना की गयी है।

समय :

12.20 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

यह सही नहीं है कि प्रदेश के किसी भी जिले के औषधि नियंत्रक/लायसेंसिंग अथॉरिटी शासन के निर्धारित योग्यता को पूरा ही नहीं करते। विभाग में पदस्थ समस्त लायसेंसिंग अथॉरिटी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 49 ए के अनुरूप अर्हता रखते हैं। यह सही नहीं है कि प्रदेश में बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर्स का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स के संचालन पर सतत् निगरानी रखी जाती है एवं बिना अनुज्ञप्ति के संचालित मेडिकल स्टोर्स अथवा बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस तारतम्य में विगत् 02 वर्ष 2019 एवं 2020 में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में कुल 18025 निरीक्षण किया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने वाले 28 संस्था/व्यक्तियों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् कार्यवाही की गई है। प्रदेश की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया है कि हर साल 1200 डॉक्टर निकलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सत्र में मेरे ही प्रश्न में यह कहा था कि वे डॉक्टर कोई भी गांव में नहीं जाते हैं। वह बड़ा चिंता का विषय है, वे उस पर विचार करेंगे। आपने सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति को यहां पर glorify कर दिया। यह तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जवाब है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो निजी अस्पताल खोले जाते हैं या निजी मेडिकल जांच की संस्थाएं चाहे वह सोनोग्राफी, एक्स-रे की हो या अन्य हो। उसके मापदंड को कौन तय करता है, कौन वेरिफाई करता है और उसकी अनुमति कौन देता है ? कितने अस्पतालों को इस योग्यता में नहीं पाया गया जिस पर उनका लाईसेंस निरस्त किया गया है। पिछले एक साल का ही बता दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें हैं। फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. होमगार्ड विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अथॉरिटी केशन फॉर बायोमेडिकल बेस्ड के लिये पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा और म्युनिसीपल कार्पोरेशन के द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को अनुमति दी जाती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, इनसे एन.ओ.सी. लेते हैं, इसको अस्पताल शुरू करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। वह इन सब मापदंडों के पूरा होने के बाद अनुमति प्रदान करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन अस्पतालों में आपने निरीक्षण के लिये लिखा है। सी.एम.एच.ओ. और अन्य अधिकारी निरीक्षण करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अस्पतालों में जो 1500 या 2600 आपने कितना बताया है, इस प्रदेश में 3472 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को लाईसेंस अनुमति प्रदान की गयी है? इनकी जांच नियमित रूप से होती है। वहां पर आक्सीजन बेड है कि नहीं है, वहां साफ सफाई है कि नहीं हैं, वहां पर अग्नि दुर्घटना के समय में मरीजों को निकालने की व्यवस्था है कि नहीं है, आपने यह चेक करवाया है क्या और क्या आप संतुष्ट हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमित रूप से इंस्पेक्शन का प्रावधान है। अभी हम लोगों ने 483 इंस्पेक्शन किये हैं। 118 में एक्शन पेनाल्टी लगायी गयी है और समय समय पर शिकायतें मिलती हैं तो उस पर जांच कराई जाती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, इसका दूसरा पार्ट है, पूरे प्रदेश में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें आजकल नशीली दवाईयां बिक रही हैं। तो इसकी जांच-पड़ताल के लिए कोई व्यापक इंतजाम या व्यापक मुहिम चलायेंगे क्या ?

दूसरा, जिलों में मेडिकल स्टोर के लिए लायसेंस देने, जांच करने के लिए ड्रग इन्सपेक्टर या ड्रग आफिसर होते हैं, वे पूरी अर्हता वाले हैं या तदर्थ वाले हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भेजे गये लोग हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं।?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जो मेडिकल स्टोर खोले जाते हैं, उसके लिए लायसेंस देने का प्रावधान है। जो निर्धारित योग्यता रखते हैं , उन्हीं को लायसेंस देने का प्रावधान है। अभी वहां जो भी अधिकारी नियुक्त हैं, वे सारी अर्हताधारी हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं कोई पर्टिक्यूलर जगह में इस तरह की शिकायत है तो आप बता दीजिये, हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, न मुझे किसी से व्यक्तिगत पीड़ा है। मैं बिलासपुर में रहता हूं, वहां पर कई बार अखबारों में समाचार आता है कि कफ सीरप, जो नशीला पदार्थ है, मार्फिन का इंजेक्शन है, वह सब बिकना शुरू हो रहा है। आपको उसकी रोक-टोक कराना चाहिए क्योंकि नशे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूं कि लोरमी में जितने भी मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, वहां के ड्रग इन्सपेक्टर से बहुत परेशान हैं। वह उनको बहुत तंग करता है, परेशान करता है। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप उनको वहां से तत्काल हटाने का आदेश जारी करेंगे ? आप उसको लोरमी से हटा दीजिये, मैं निलंबित करने की मांग नहीं कर रहा हूं। आप

उसको हटाकर कहीं भी भेजिये, लेकिन उसको वहां से हटा दीजिये। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। लोरमी छोटी जगह है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर परेशान कर रहा है तो उनको निर्देश दिया जायेगा कि वह किसी को भी परेशान न करे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह किसी का निर्देश नहीं मानता। मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आप उसको लोरमी से हटाकर मुंगेली में, उसी जिले में स्थानान्तरित कर दीजिये । मुंगेली अच्छा न लगे तो उसको बिलासपुर स्थानान्तरित कर दीजिये, अगर उसको बिलासपुर अच्छा न लगे तो रायपुर में स्थानान्तरित कर दीजिये। रायपुर में जो और बढ़िया जगह है, वहां स्थानान्तरित कर दीजिये। आप उसको वहां से हटा दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उसको दिखवा लेता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक तो आ मंत्री जी का जवाब दे रहे हैं। आप खुद डाक्टर हैं। जब मैं वहां का विधायक बोल रहा हूं कि उसने वहां परेशानी पैदा कर रखा है तो इसमे दिखवाने की क्या जरूरत है। आप उसको लोरमी से हटाकर मुंगेली स्थानान्तरित कर दीजिये, वह उससे बड़ी जगह है। वहां ज्यादा कमाई है। आप उसको वहां से हटाने का बोल दीजिये कि लोरमी से हटायेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, वहां किसी को भी इस तरह से कमाई के लिए नहीं भेजा जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं तो उसको सजा के तौर पर मुंगेली भेज दो। आप उसको वहां से हटाईये न। मैं आपसे यही चाह रहा हूं कि आप लोरमी से हटाने के लिए कह दीजिये कि उसको लोरमी से हटा देंगे। मैं निलंबित करने, जांच कराने दुनिया भर की बात नहीं कह रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उसको दिखवा लेता हूं।

समय :
12:28 बजे

<u>नियम 267"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।

1. श्री बघेल लखेश्वर

समय :
12:29 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

श्री अरूण वोरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 64, दुर्ग (शहर)

उपाध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 64, दुर्ग (शहर) के सदस्य श्री अरूण वोरा, द्वारा फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में दिनांक 03 मार्च, 2021 से दिनांक 19 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

कोरोना पाजीटिव हो जाने के कारण मैं दिनांक 03 मार्च, 2021 से 19 मार्च, 2021 तक विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-64, दुर्ग (शहर) के सदस्य, श्री अरूण वोरा को दिनांक 03 मार्च, 2021 से दिनांक 19 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई)

समय :
12:29 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह (सभापति- प्रत्यायुक्त विधान समिति) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्य, लोक लेखा समिति (श्री मोहन मरकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का सैतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां एवं इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :
12.31 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :

1. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
2. श्रीमती ममता चंद्राकर

समय :

12.32 बजे

वक्तव्य

प्रदेश में हत्या/आत्महत्या की घटित घटना के संबंध में

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में परसों एक घटना हुई है जिसके विषय में मैं विभाग की ओर से सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दुर्ग के थाना पाटन में दिनांक 06.03.2021 को टेलीफोन से प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी पाटन घटनास्थल ग्राम बठेनाखार की सिरसाबाड़ी पहुंचे। निरीक्षण पर पाया कि रामबृज गायकवाड़ तथा उनके पुत्र संजू गायकवाड़ का शव घर के बरामदे में रस्सी से लटके तथा कुछ दूरी पर एक जले पैरावट में जले हुई मानव अस्थि के अवशेष दिखाई दिये। घटनाक्रम की जानकारी पर पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग, एस.डी.एम. पाटन सहित अन्य पुलिस अधिकारी फारेंसिक टीम, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ तथा डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंचे। विशेषज्ञ टीम द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया गया। मृतक के कमरे से टेबल पर रखी एक कॉपी जिसमें सुसाईडल नोट लिखा था, जिसमें पैसों के लेन-देन से व्यथित होने का उल्लेख था। उक्त कापी तथा अन्य नमूना दस्तावेज जब्त किया गया। पिता एवं पुत्र के शवों को पाटन मरचुरी रवाना किया गया। प्रात: घटना स्थल में जली पैरावट की ढेर का कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं विशेषज्ञों द्वारा पुलिस टीम के साथ मृतक के परिजनों की उपस्थिति में बारीकी से निरीक्षण पर पाया कि जले ढेर के मध्य 03 मानव खोपड़ी / अस्थि अवशेष दिखाई दिये, शवों के सिर उत्तर दिशा में थे तथा उनके ऊपर नीचे चारों ओर गोबर कंडे से चिता जलने के बाद भी राख जमी हुई थी। रिश्तेदारों द्वारा उक्त तीनों शव मृतक की पत्नि जानकी तथा पुत्री दुर्गा एवं ज्योति गायकवाड़ के होने की संभावना बतायी, तीनों अस्थि अवशेष जब्त कर परीक्षण हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर भेजा गया है। मृतक पिता-पुत्र का पीएम चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जाकर संक्षिप्त पीएम रिपोर्ट में मृतकों की मृत्यु श्वांस अवरोध के कारण बताते हुए आत्महत्या की प्रकृति बताई है। घटना के संबंध में मर्ग क्रमांक 11, 12, 13, 14 एवं 15/2021 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता पंजीबद्ध कर गंभीरतापूर्वक विशेषज्ञों की टीम के साथ जांच की जा रही है।

दिनांक 21.12.2020 की रात्रि ग्राम खुड़मुड़ा निवासी बालाराम सोनकर पत्नि दुलारी बाई बेटे रोहित सोनकर तथा बहु कीर्तिन सोनकर की हत्या से संबंधित मामले में थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक 144/20 धारा 302, 307, 201 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया है। अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों की पतासाजी के लिए श्री प्रशांत ठाकुर, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के पर्यवेक्षण में 12 सदस्यीय टीम

का गठन किया गया है जो तकनीकी एवं मानवीय पहलुओं के आधार पर आरोपियों की लगातार पतासाजी में लगी हुई है। प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने वाले को पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग तथा पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा ईनाम घोषित किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, प्रकरण में विवेचना जारी है।

दिनांक 6.03.2021 को कोटवार अछोली के द्वारा सूचना दी गई कि रामसहाय टंडन तथा उसकी बहू सुनीता टंडन के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। कोटवार आज सबेरे अपने खेत चना फसल देखने गया था, वापस लौटते देखा कि राम सहाय टंडन के घर पास बाड़ी में कुछ मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, जिन्हें रामसहाय टंडन ने मना किया तब उसकी बहू सुनीता टंडन बोली कि मैं सेफ्टीक के लिए गड्ढा खोदवा रही हूँ। इसी पर विवाद होने लगा और रामसहाय के उकसावे पर उसके बेटे भगतराम ने सुनिता टंडन तथा सुनिता की मां कमला बाई के सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दिया। सूचना पर थाना उरला में अपराध क्रमांक 75/21 धारा, 302, 109 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर आरोपियों भगत राम टंडन तथा रामसहाय टंडन को गिरफ्तार कर न्यायायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

यह कहना सही नहीं है कि विगत 02 वर्षों में ही ऐसी घटनायें अत्यधिक बढ़ी हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2019-20 की अवधि में हत्या के प्रकरणों में कमी परिलक्षित हुई है। तीनों घटनायें दु:खद हैं परंतु एक दूसरे से जोड़कर देखना उचित नही है। राज्य की पुलिस अत्यन्त गंभीर तथा संवेदनशील है। सभी गंभीर घटनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर विशेषज्ञों की टीम की सहायता ली जाकर विवेचना/जांच गंभीरतापूर्वक की जा रही है। प्रदेश की जनता में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश नहीं है, जन जीवन सामान्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो घटनाएं 2-4 दिन में घटित हुई हैं उसकी जानकारी विभाग की ओर से मैंने सदन में प्रस्तुत की हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में लगातार हत्या, आत्महत्या,लूट-खसोट, डकैती, बलत्कार, गैंगरेप, यह घटनाएं, रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। प्रमुख विपक्षी दल ने इस मामले को आज स्थगन के माध्यम से उठाने का प्रयास किया, पर सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप स्थगन की चर्चा कराते और उसमें उनके पूरे तथ्यों को सुनते और अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करते। किन्हीं कारणों से कुछ मिस कम्युनिकेशन गैप के कारण वह लगातार सदन में अनुपस्थित हैं। सदन में उनकी अनुपस्थिति से सदन की जो सजीवता है जो सदन का आकर्षण है, वह खत्म हो रहा है और हम सार्थक चर्चा से वंचित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आपने जो जवाब दिया, उस जवाब में ही लिखा है कि एक सुसाइडल नोट मिला जिसमें उसने आर्थिक लेन-देन के कारण परेशान होना बताया। अब यह बताईये कि

कोई आदमी अपनी जमीन बेचे, कोई कर्जदार सूदखोर खुले आम दादागिरी, गुण्डागिरी करके, अगर गांव के किसानों को तंग करे और आपकी पुलिस और आप कुछ न कर सकें। तो यह भी चिंतनीय विषय है। मैंने आपके जवाब में ही यह पढ़ा कि पैरावट में तीन सिर जले हुए मिले। अब यह कौन से प्रकार की आत्महत्या है, आप मुझे बताईये ? यह किस प्रकार की आत्महत्या है कि पैरावट में तीन बॉडी के अवशेष मिले। इस प्रकार की आत्महत्या आज तक के भारतवर्ष में मैंने नहीं सुना है। आपने बताया है फांसी लगाना। उनके वहां से तीन मानव खोपड़ी/अस्थि अवशेष दिखायी दिये। गोबर कण्डे से चिता जलने के बाद भी राख जमी हुई थी। आप बोल रहे हैं। आखिर यह सब संदिग्ध वातावरण बनता है कि एक परिवार के 5-5 लोग के मर जाएं और माननीय मंत्री जी आप उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं। यह मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की घटना है जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हाल सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह क्या हाल होगा ? आप पुलिस को टाईट क्यों नहीं करते हैं ? क्यों गुण्डे, मवाली लोग किसी को पैसे वसूली करते हैं। पुलिस में क्या कानून नहीं है ? कि कोई जबरिया वसूल करने वाले ब्याज, सूदखोर लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तो यह सब चीजें ऐसी है इसमें जब तक आप विपक्ष की तरफ से तथ्य नहीं लेंगे, जानकारी नहीं पायेंगे हम नये-नये तथ्य देना चाहते हैं प्रमुख विपक्षी दल के सभी वरिष्ठ सदस्य यहां बोलना चाहते थे और आप सब खड़े होकर, उसको सुनना नहीं चाहते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। यह प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अभी भी अपील करता हूँ कि इस पर शीघ्र चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य और माननीय अध्यक्ष के बीच में चर्चा करके, सदन को चाहे जितने दिन भी चले, सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया हो। वरना सदन का सत्र मैंने आज तक कभी इससे निरस नहीं देखा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

समय :

12:45 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

मांग संख्या	**82**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**33**	**आदिम जाति कल्याण**
मांग संख्या	**41**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना**
मांग संख्या	**42**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल**
मांग संख्या	**49**	**अनुसूचित जाति कल्याण**
मांग संख्या	**53**	**अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा

मांग संख्या 17 सहकारिता

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये-तीन सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, सैंतालीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिये- चार हजार आठ सौ पचासी करोड़, तीन लाख, छियासठ हजार रुपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उन्नीस हजार, पांच सौ चौंतीस करोड़, चौंतीस लाख, ग्यारह हजार रुपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये- नौ सौ साठ करोड़, इकहत्तर लाख रुपये,

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिये- चार करोड़, चौरानबे लाख, तीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- पचासी करोड़, बत्तीस लाख, तैंतीस हजार रुपये

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये- छः हजार एक सौ सत्तावन करोड़, सत्रह लाख, अड़तीस हजार रुपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये- दौ सौ छप्पन करोड़, छत्तीस लाख, सत्तर हजार रुपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- पंचानबे करोड़, चार लाख, पचास हजार रुपये,

मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- एक सौ छियासठ करोड़,चौंतीस लाख, तिहत्तर हजार रुपये,

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- एक सौ तैंतीस करोड़, उनचास लाख, अटठाईस हजार रुपये,

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिये- पांच हजार एक सौ सतहत्तर करोड़, चौदह लाख तिहत्तर हजार रुपये तथा

मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिये- दो सौ तिरालीस करोड़, छियासी लाख, बानबे हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मागों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या- 33</u>

<u>आदिम जाति कल्याण के लिये</u>

01. श्रीमती इंदु बंजारे 1

<u>मांग संख्या- 41</u>

<u>अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये</u>

निरंक

<u>मांग संख्या-49</u>

<u>अनुसूचित जाति कल्याण के लिये</u>

निरंक

मांग संख्या- 53

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये

निरंक

मांग संख्या- 64

अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये

निरंक

मांग संख्या- 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये

निरंक

मांग संख्या- 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- भवन के लिये

निरंक

मांग संख्या- 27

स्कूल शिक्षा के लिये

01. श्रीमती इंदु बंजारे 4

मांग संख्या- 17

सहकारिता के लिये

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्रीमती इंदू बंजारे ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो भवनहीन हैं और ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं । एक-

तरफ यह बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक-तरफ हमारे बच्चे ऐसी जगहों पर बैठ रहे हैं जहां पर भवन नहीं हैं और कहीं-कहीं पर पूरी जर्जर स्थिति है । कभी भी कुछ भी हादसा या घटनाएं हो सकती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश में, खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी भवनविहीन स्कूल हैं और जर्जर स्कूल हैं, मैं माननीय मंत्री जी से उनकी जांच कराकर उनको बनवाने की मांग करती हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्कूल खुल चुके हैं और गर्मी चालू हो चुकी है । हम लोग यहां पर ए.सी. में बैठे हैं लेकिन हमारे बच्चे स्कूलों में बिना पंखे के जमीन में और गर्मी से त्रस्त होकर बैठते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां पर पंखे भी नहीं हैं और बच्चों के बैठने के लिये बेंच भी नहीं है और वे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसकी भी जानकारी लेकर उनको बैठने की सुविधा उपलब्ध करायें और वहां पर पंखे भी उपलब्ध करायें । इसके साथ ही मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तुसमा में हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की मांग करती हूं और ग्राम पंचायत खपराडीह में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन करने की मांग करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी से भुईगांव में हाईस्कूल को हायरसेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की मांग करती हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या- 33, 41, 42, 49, 64, 27 और 17 की अनुदान मांगों के समर्थन पर अपनी बात रखूंगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल हम स्कूली शिक्षा के बारे में चूंकि हम कोरोना के संकट से जूझ रहे थे । इस कोरोना से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे थे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संकट को दूर करने के लिये एक अभिनव पहल जारी की और उस अभिनव पहल में पढ़ई तुंहर द्वार के तहत् विभिन्न कार्यक्रमों मोहल्ला और जो ऑनलाईन पाठ्यक्रम है, उसके माध्यम से पढ़ई तुंहर द्वार के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया । आज जिसका परिणाम है कि बच्चा परीक्षा देने के लिये तैयार है । शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल में जो किया गया, उसमें बच्चों के समक्ष विभिन्न कठिनाईयां आयीं, उसको ऑनलाईन समाधान भी दिया गया, ब्लेक-बोर्ड के साथ-साथ की-बोर्ड, मोबाईल पेड का भी प्रयोग किया गया और सबसे बड़ी बात सामुदायिक सहभागिता जिसको वर्षों से दूर नहीं कर पा रहे थे उस सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कार्यक्रम चलाया गया, लोग जुडते गये, लोग मित्र बनते गये और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और विभिन्न समुदायों के माध्यम से विद्यार्थियों को सहयोग दिया गया । हम पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय से किताबों को आलमारियों से बाहर निकाला गया और उसका वितरण किया गया और शिक्षकों को भी 2 वर्षों तक

पत्राचार माध्यमों से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये गये । इस प्रकार जिस कार्यक्रम को बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे उस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक अभिनव प्रयोग किया गया। बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया । सायकिल योजना के माध्यम से और स्कॉलरशिप नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो बालिका शिक्षा का प्रतिशत 49.5 और बालकों का 51 प्रतिशत, यानी बहुत कम अंतर है । बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जो ज़ोर दिया गया यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है । जनसंख्या के हिसाब से जो एडमिशन दिया गया उससे भी इस कार्यक्रम को बढ़ावा मिला । एक लाख पैंसठ हजार साइकिल प्रदान की गई है, 64 करोड़ 60 लाख की पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा पुस्तक वितरण प्रस्तावित है । शिक्षा में इससे रूचि बढ़ी है, मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई है । इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा विभाग बेहतर कार्य कर रहा है । मैं इसका समर्थन करती हूं । इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से बच्चों को सुविधा मिल रही है, खासकर एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. आयोजना के माध्यम से भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनके कारण पढ़ने में उनकी रूचि बढ़ी है । साथ ही मैं निर्वाचन क्षेत्र सिहावा के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारे यहां यदि स्कूल भवनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 45 स्कूल भवन डिस्मेंटल करने लायक हैं, मैं स्कूली शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 150 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत की जरूरत है अन्यथा उनकी स्थिति भी खराब हो जाएगी । उस क्षेत्र की विधायक होने के नाते उस क्षेत्र की जनता निरन्तर मुझ पर दबाव बनाती रहती है । मैंने बहुत मुश्किल से डी.एम.एफ. के द्वारा 6 स्कूलों का ही उद्धार कर रही हूं लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग से और धन आता तो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त कर पाने में सक्षम होती ।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के बारे में मैं यह कहूंगी कि सहकारिता विभाग चाहे किसानों के लिए हो, चाहे कारीगरों के लिए हो, चाहे बुनकरों के लिए हो, चाहे मछुवारों के लिए हो, चाहे दुग्ध उत्पादकों के लिए हो, चाहे एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. सबके लिए सहकारिता विभाग ने एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मित्र के रूप में काम किया है । ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके । विभिन्न संस्थाओं ने अपने-अपने दायित्वों को पूरा करते हुए विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है । इन सभी विभागों के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न सहकारी शक्कर के कारखाने फसल चक्र परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसके माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ शक्कर उतपादन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है । उसी तरह से संस्थाओं के पंजीयन, निर्वाचन और विवादों का निपटारा भी बराबर किया जा रहा है । ऋण की बात करें तो अल्पकालिक ऋण दिया गया था, किसान बहुत ज्यादा परेशान थे कि खेती कैसे की जाएगी । लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर ही किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ किया है। जो ऋण दिया जा रहा है, वह शून्य प्रतिशत पर दिया जा रहा है । सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों का ऋण 17 लाख 82 हजार किसानों का, उसमें 8 हजार 755 करोड़ रूपये किसानों का ऋण माफ किया गया है। मैं क्षेत्र के किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए, किसानों की कठिनाइयों को दिल से समझा और उसे उबारने के लिए जो प्रयत्न किया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। उसी तरह से गौ पालन के लिए भी जो ऋण है, वह सरकारी संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है। उद्यानिकी और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी ऋण दिया जा रहा है। 2 लाख पर 1 प्रतिशत ब्याज की दर से, 3 लाख पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर से, इस तरह से गौ पालकों, मत्स्य पालकों और जो उद्यानिकी है, उनका भी विकास इस प्रकार की सुविधा मिलने से निरंतर बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं और वन पट्टाधारियों को भी ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसान है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उचित मूल्य दुकान, निराश्रित पेंशन और स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति और कृषि ऋण के माध्यम से सहकारिता विभाग निरंतर अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है और इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाये तो माननीय सहकारिता मंत्री और स्कूली शिक्षा विभाग मंत्री इस विभाग को दिन दुनी और रात चौगुनी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को और बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी। श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री विभाग के प्रस्ताव के संबंध में मैं शिक्षा बजट जो पास किया गया है, उसके लिए मैं उसका समर्थन करथव और अपन बात अपन विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़ से रखथव। । माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सारंगढ़ विधान सभा में संचालित शासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल के मांग करथव। हाई स्कूल लेंध्रा के मांग करथव। हाईस्कूल कटेली के। हाईस्कूल दनसरा के। अउ मीडिल स्कूल के मांग करथव सारंगढ़ में। ग्राम रकसा, ग्राम गुढ़ियारी, ग्राम रेड़ा और गौठला और सालर के सारंगढ़ के मांग करथव। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनुदान मांगों पर माननीय श्रीमती इंदू बंजारे जी, डॉ (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और उनके सुझाव पर विभाग बिल्कुल अमल करेगा। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे विभाग की मांगों को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, 41, 49, 53, 64, 66, 68, 27 एवं 17 पर प्रस्तुत कटोती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- तीन सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, सैंतालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 33 आदिम जाति कल्याण के लिये-चार हजार आठ सौ पचासी करोड़, तीन लाख, छियासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये- उन्नीस हजार पांच सौ चौंतीस करोड़, चौंतीस लाख, ग्यारह हजार रूपये,

मांग संख्या - 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए-नौ सौ साठ करोड़, इकहत्तर लाख रूपये,

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिए-चार करोड़, चौरानबे लाख,तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-पचासी करोड़, बत्तीस लाख, तैंतीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए-छ: हजार एक सौ सत्तावन करोड़, सत्रह लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए-दौ सौ छप्पन करोड़, छत्तीस लाख, सत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए-पंचानबे करोड़, चार लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए-एक सौ छियासठ करोड़,चौंतीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-एक सौ तैंतीस करोड़, उनचास लाख,अट्ठाईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 27 स्कूल शिक्षा के लिए-पांच हजार एक सौ सतहत्तर करोड़, चौदह लाख, तिहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिए-दो सौ तिरालीस करोड़, छियासी लाख,बानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 8 भू राजस्व तथा जिला प्रशासन

मांग संख्या 35 पुनर्वास

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए-इक्कीस करोड़, चौबीस लाख रूपये,

मांग संख्या 8 भू राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए-एक हजार एक सौ इक्वायन करोड़, दो लाख, इकहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या 35 पुनर्वास के लिए-दो करोड़, बारह लाख, सत्रह हजार रूपये तथा

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए-एक हजार एक सौ दस करोड़, सतहत्तर लाख, निन्यानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे -

मांग संख्या-9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या-8

भू राजस्व तथा जिला प्रशासन

निरंक

मांग संख्या-35

पुनर्वास

निरंक

मांग संख्या-58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 9, मांग संख्या 8, मांग संख्या 35, मांग संख्या 58 का समर्थन करती हूं। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एवं विश्व के सभी महिलाओं को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से बहुत-बहुत बधाई व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 9, 8, 35 एवं 58 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबधित व्यय के लिये-इक्कीस करोड़, चौबीस लाख रूपये,

मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये- एक हजार एक सौ इक्यावन करोड, दो लाख, इकहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये- दो करोड, बारह लाख, सत्रह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये - एक हजार एक सौ दस करोड, सतहत्तर लाख, निन्यानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3) मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये- आठ सौ छब्बीस करोड़, अट्ठावन लाख, चौंतीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये- एक सौ सत्रह करोड, तेईस लाख, सत्तासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या - 20</u>

<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये</u>

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 2

<u>मांग संख्या - 56</u>

<u>ग्रामोद्योग के लिये</u>

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 20 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये- आठ सौ छब्बीस करोड़, अट्ठावन लाख, चौंतीस हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	56	ग्रामोद्योग के लिये- एक सौ सत्रह करोड, तेईस लाख, सत्तासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए- एक हजार उनचास करोड़, पचासी लाख, इक्यानबे हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	34	समाज कल्याण के लिए- एक सौ दस करोड़, तिरपन लाख, तिरपन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए

निरंक

मांग संख्या-34

समाज कल्याण के लिए

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 2

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्य का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला एव बाल कल्याण से संबंधित मांग संख्या-55 और 34 पर अपना समर्थन व्यक्त करती हूं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं उसका समर्थन करती हूं। इससे महिलाओं का विकास हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है। उनकी पढ़ाई से लेकर पोषण तक पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां तक शादी-ब्याह का खर्च भी उठाया जा रहा है। हमारे प्रदेश की जो विधवा महिलाएं हैं, उनके प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। नि:शक्तजनों के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं कि अगर इनका विकास किया जायेगा तो छत्तीसगढ़ सशक्त दिखाई देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह समाज कल्याण विभाग के द्वारा निराश्रितों और दिव्यांगजनों के लिए जो भी योजनाएं हैं, उनके लिए जो कार्य किया जा रहा है, वह भी प्रशसंनीय है। क्योंकि इनके देखभाल करने के लिए शासन की जितनी भी तारीफ की जाये, वह कम है। शासन द्वारा जितनी भी राशि योजनाओं के द्वारा राशि व्यय की जा रही है, वह एक अच्छा कार्य है। यह पहले भी होता था, लेकिन अब आधुनिक ढंग से किया जा रहा है। उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को भी

धन्यवाद देती हूं और अपनी बात को समाप्त करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री की विभाग मांग संख्या- 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय, मांग संख्या-34 समाज कल्याण का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा दिन है। आज हम महिलाओं का दिन है। मुझे महिला होने पर बहुत गर्व है। क्योंकि आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पुरूषों का कोई दिन नहीं होता है। (हंसी) सही में आज हम बहुत खुश हैं और आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं। मैं दिल की एक बात कहना चाहती हूं क्योंकि कल सभी पत्रकारों ने मुझे फोन किया तब मैंने पत्रकारों से सिर्फ एक प्रश्न किया कि मैं सच बोलूं या असत्य। मंत्री महोदया जी गलत तो नहीं हुआ? क्योंकि यदि सच बोलूंगी तो बहुत दुख है और असत्य बोलूंगी तो बहुत सच है लेकिन मेरे पत्रकारों से मैंने विनम्र निवेदन किया कि आज मैं एक विधायक के पद पर हूं तो आप सच्चाई को छापो और उन्होंने सच्चाई छापा, इसके लिए मैं अपने पत्रकार भाईयों को बहुत -बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरी सोच यह है कि आज हम बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और 21वीं सदी में हैं। पहले हम घर के अंदर रहती थीं लेकिन अब बहुत आगे बढ़कर शिक्षित भी हो चुकी हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं महिलाएं पुरूषों से दबी हुई हैं लेकिन हम ये भी मानती हैं कि हम आप लोगों के संरक्षण में सुखी और सुरक्षित हैं। पुरूषों के अंदर ही हम सुरक्षित भी हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि किसी के यहां एक बच्ची या बेटी का जन्म होता है तो सभी बोलते हैं कि हमारे घर एक लक्ष्मी आई है लेकिन किसी के यहां बेटे का जन्म होता है तो कोई नहीं बोलता कि कुबेर आया है। (हंसी) अगर किसी के यहां बोलते होंगे तो बता दें। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की सभी महिलाओं एवं विश्व की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से दुआ करती हूं कि वह आत्मनिर्भर बनें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने राज्य, माता-पिता और अपने देश का नाम रौशन करें। मैं एक मेरे मन की बात कहती हूं कि मुस्कराकर, दर्द भूलकर रिश्तों में बनती दुनिया सारी, हर पग को रौशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यदि एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, किंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उनकी एक पीढ़ी शिक्षित होती है। यह हमारी महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक आह्वान है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि हमारी अनिला दीदी हमारे ठीक बाजू वाले विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और मैं सम्माननीय अनिला भेंड़िया को एक अपनी मां के रूप में और एक सहेली के रूप में सदन में आज सबके सामने प्रणाम करती हूं। अनिला दीदी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हर समय सहयोग दिया, साथ दिया, हर पल मेरे साथ रहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी खुश थी कि मैं मांग के

बारे में बोलना भूल गई। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो कि हर वर्ग, जाति, समुदाय बच्चों को समान अवसर दिलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयत्नशील रहे, साथ ही हमारी जो मुख्य समस्या थी जिसे हमने पिछले 15 सालों में महसूस किया वह थी कुपोषण की समस्या और इसके लिए सुपोषण योजना अभियान की 02 अक्टूबर को शुरूआत हुई। सुपोषण अभियान के तहत बताना चाहूंगी कि हमारे संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्र है। उपाध्यक्ष महोदय को छोड़कर और मैं ठीकठाक हूं। (हंसी) मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की मांग संख्या 55 एवं 34 का समर्थन करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी (कोटा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं यहां पर उपस्थित सभी साथियों, हमारी प्यारी बहनों को विधायकों, पत्रकार बंधुओं, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती अनिला भेड़िया मेरी साथी हैं उन्होंने बजट तो बहुत अच्छा बनाया है। मैं आशा करती हूँ कि उसका कार्यान्वयन भी उतने ही सुचारू रूप से वह कर पाएंगीं। अभी तक जो मुझे इस पूरे प्रतिवेदन में सबसे अच्छी बात यह लगी कि भारत सरकार ने जो वर्ष 1915 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान चलाया था । हमारा प्रदेश, उस पढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे कि हम लोग लोग कुछ न कुछ छूट या प्रोत्साहन देकर पढ़ाये। आज मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ, मैं बहुत छोटे से जिले दमोह से आती हूँ। जो सचमुच में अभी भी उसकी स्थिति सुधरी नहीं है। मैं पढ़ाई की वजह से ही आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ और अपनी बात कह सक रही हूँ तो माननीय मंत्री महोदया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप लोग कुछ न कुछ प्रोत्साहन बच्चियों को पढ़ाने के लिए दें। आप लोग सायकल वगैरह तो देते ही हैं, पर अन्य कुछ सुविधाएं दें। एक नया छत्तीसगढ़ गढने का सपना सोच रहे हैं तो महिलाओं, बच्चियों को आगे बढ़ाने का एक सुझाव देना चाहती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद् एवं पुन: बधाई देती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ सभा सहमत है ? भोजन की व्यवस्था माननीय श्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग की मांग संख्याओं पर डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती संगीता सिन्हा, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी जी, आप लोगों ने सुझाव दिये उसके लिए धन्यवाद्।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा में अपने विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान प्रस्तुत करते हुए, अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मैं महिलाओं एवं बच्चों के विकास कल्याण एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हूँ एवं सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले हमारा विभाग छोटा है, परन्तु बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं और महिलाओं एवं बालकों के उत्थान के लिए है तो सबसे पहले एकीकृत बाल विकास सेवाएं आई.सी.डी.एस. के विषय में बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाओं का संचालन कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्वक आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 1465.15 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है जिससे आई.सी.डी.एस. सामान्य के अंतर्गत 7 हजार 79.83 करोड़ रूपये एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण प्रदाय हेतु 685.32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्य चर्चा संस्कार अभियान के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को बेहतर एवं समन्वित विकास हेतु शाला पूर्व शिक्षा को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने हेतु हमने ठोस कदम उठाये हैं। प्रारंभिक बाल्यवस्था, देखभाल एवं शिक्षा निधि परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में भी विकास अनुकूल प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यचारी विकसित की गई है जिससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रदाय की जाने वाले शाला पूर्व शिक्षा तथा 3 वर्ष से छोटे बच्चों के पालकों के लिए पाठ्यक्रम का समावेश है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. प्रदाय हेतु विभागीय अमले के प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिये कार्ययोजना बनाई गई है जिसे आगामी वर्ष में क्रियान्वित करेंगे। वर्ष 2021-22 के बजट में इस घटक के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकीकृत बाल विकास सेवाओं का सर्वव्यापीकण। आंगनबाड़ी केन्द्रों के सर्वव्यापीकरण के तहत प्रदेश में प्रत्येक बसाहट तथा आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं का विस्तार कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 46,660 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5814 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से लगभग 26 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं कि जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता है, उनका परीक्षण करा रहे हैं तथा योजना प्रावधानों और मापदंडों के अनुसार केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 685.32 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना

चाहती हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन के लिए निर्धारित मेनू अनुसार पौष्टिक नाश्ता तथा पका हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। इसी प्रकार छः माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं को रेडी-टू-ईट फुड का वितरण किया जाता है। महतारी जतन योजना के अंतर्गत सामेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत संचालित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की आंगनबाड़ी केन्द्रों में विशेष देखभाल, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्ण टीकाकरण, आयरन एवं फोलिक एसिड का वितरण एवं सेवन, गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां एवं किये जाने वाले सुरक्षित कार्यों की जानकारी, सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव हेतु जानकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं समन्वय एवं अन्य विभागों द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित संचालित योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं के लिये महतारी जतन योजना का संचालन माह मई 2016 से प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक हितग्राही को टेक होम रोशन पर प्रतिग्राही प्रतिदिन 13.50 रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 33.25 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशोरी बालिकाओं के लिये पूरक पोषण आहार का कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें से 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं के लिए यह योजना संचालित है जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं देखभाल के लिए प्रावधान है। वर्ष 2021-22 के बजट में गैर पोषण आहार मद से 2 करोड़ 41 लाख रुपये के पोषण आहार हेतु 4 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। इस वैश्विक महामारी में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान में भी हमारे प्रदेश के हितग्राहियों को सतत रूप निरंतर पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी-टू-ईट प्रदाय कर रहे हैं तथा शासन द्वारा सितंबर, 2020 में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन भी प्रदाय किया जा रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हमारे सभी सदस्यों ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ में हमारे कोई भी बच्चे कुपोषित न रहें, हमारी कोई भी महिलाएं एनीमिया की शिकार न रहें, कोई भी गर्भवती माताएं अस्वस्थ न रहें इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण दूर करने में अव्वल स्थान पर रहा और हमारे समाज कल्याण विभाग ने भी कोराना महामारी के समय ऐसी व्यवस्था की कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कोई दिव्यांग या कोई जनता, कोई वृद्ध भूखा न सोये, स्वस्थ रहे इसके लिये भी उन्होंने हमेशा कोरोना कार्यकाल में उनके लिये गर्म भोजन की व्यवस्था की और उनके अच्छा रहने की व्यवस्था की, उनके स्वास्थय के लिये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से व्यवस्था की गई इस तरह से हमारा विभाग हमेशा बच्चों,

महिलाओं, दिव्यांग, वृद्धों और असहाय लोगों के लिये तत्पर है और हमारी सरकार भी इसके लिये हमेशा खड़ी हुई है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज वे हमारे प्रदेश की महिलाओं, बेटियों के लिये हमेशा आगे हैं । उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये, उनकी शिक्षा को सुधारने के लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी और मेरा विभाग हमेशा प्रदेश की सभी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये तत्पर रहेगा । इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी मांगों की स्वीकृति के लिये माननीय उपाध्यक्ष जी से मांग करती हूं, धन्यवाद । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 55 एवं 34 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार उनचास करोड़, पचासी लाख, इक्यानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये - एक सौ दस करोड़, तिरपन लाख, तिरपन हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

(5) मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन हजार नौ सौ उन्यासी करोड़, चौंसठ लाख, छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - दो हजार सात सौ उनतीस करोड़, तिरसठ लाख, तिरसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - दो हजार तीन सौ इक्यासी करोड़, बयालीस लाख, बासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार अड़तीस करोड़, छियासठ लाख, बासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ उन्यासी करोड़, चवालीस लाख, नौ हजार रूपये,

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, चौरासी लाख, पच्चीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

<u>मांग संख्या - 30</u>

<u>पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय</u>

निरंक

<u>मांग संख्या - 80</u>

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता</u>

निरंक

मांग संख्या -19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

01. डॉ. रेणु अजीत जोगी 1

मांग संख्या 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

01. डॉ. रेणु अजीत जोगी 1

मांग संख्या - 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 30, 80, 19, 79, 7 एवं 50 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन हजार नौ सौ उन्यासी करोड़, चौंसठ लाख, छिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये - दो हजार सात सौ उनतीस करोड़, तिरसठ लाख, तिरसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - दो हजार तीन सौ इक्यासी करोड़, बयालीस लाख, बासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार अड़तीस करोड़, छियासठ लाख, बासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ उन्यासी करोड़, चवालीस लाख, नौ हजार रूपये,

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, चौरासी लाख, पच्चीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

(6) मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधत व्यय के लिये - तीन सौ उनतालीस करोड़, सात लाख, पचपन हजार रूपए तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

<u>मांग संख्या-11</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये</u>

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये- तीन सौ उनतालीस करोड़, सात लाख, पचपन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा
मांग संख्या 46 विज्ञान और टेक्नानॉजी
मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये- तीन सौ बहत्तर करोड़, इकसठ लाख, अस्सी हजार रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिये- आठ सौ सात करोड़, चौहत्तर लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 46 विज्ञान और टेक्नानॉजी के लिये- छब्बीस करोड़, पचपन लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये- बहत्तर करोड़, तैंतीस लाख, पचपन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये

1.	डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी	2
2.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2

मांग संख्या-44

उच्च शिक्षा के लिये

1.	डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी	1
2.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2
3.	श्रीमती इंदू बंजारे	5

मांग संख्या-46

विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये

निरंक

मांग संख्या-43

खेल और युवक कल्याण के लिये

1.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	5

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया को जानना है, दुनिया की घटनाओं को समझना है, चीजों को पहचानना है, समझना है और आत्मनिर्भर रहना है, अच्छा जीवन

जीना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है और इसी अंधकार को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा पर अभिनव प्रयोग किये हैं। शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आधुनिक युग के अनुसार छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा के संरचनात्मक ढांचे को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है और जो interior area है, वहां भी ढांचा तैयार किया जा रहा है और ढांचे के साथ-साथ उन्हें ग्रेड मिल सके, इसके लिए रूसा के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है और रूसा के साथ-साथ जितनी भी टीम आती हैं, उसके मापदण्डों पर खरा उतरे, उसके लिए भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है । शिक्षा विभाग की कमी को दूर करने के लिए अभी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी की जा रही है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है क्योंकि जब तक प्राध्यापक नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का ज्ञान अधूरा रहेगा । इसलिए विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता है । उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । अभी कोरोना कॉल में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना बहुत ही कठिन कार्य था । इसके लिए हमारी सरकार ने ऑन लाईन शिक्षा प्रदान की है और ऑन लाईन शिक्षा के माध्यम से चाहे बी.एस.सी. हो या बी.काम. हो, एम.एस.सी. हो, एम.काम. हो या एम.ए. हो या बी.ए. हो, सबको ऑन लाईन शिक्षा दी गई है, जिसका परिणाम यह है कि वे परीक्षा दिलाने के लायक हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ-साथ खेल के क्षेत्र को भी ध्यान दिया जा रहा है । हमारे अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हुए हैं । यदि हम शिक्षा और हायर एजुकेशन को दुनिया के अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए संरचनात्मक ढॉचा और उसके ह्रदय को सुधारना बहुत जरूरी है । मेरे यहां भी एक महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में शिक्षकों का अभाव है, केवल चार प्राध्यापक हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूंगी कि वहां केवल चार प्राध्यापक हैं और कार्य करना बहुत कठिन हैं और वहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं । उनको संसाधन उपलब्ध कराने की कृपा करें क्योंकि उस विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय है तो शिक्षा की सारी व्यवस्था करना वहां बहुत जरूरी है । वर्तमान समय में आजकल कम्प्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वहां हजारों विद्यार्थी पढ़ सकें, इसलिए लैब की स्थापना जरूरी है क्योंकि आजकल रोजगार हो या पढ़ाई-लिखाई हो, सारी चीज ऑन लाईन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस ओर जरूर ध्यान देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, बांधों से भरा है तो हमारे क्षेत्र के लिए मैं वानिकी, उद्यानिकी और मत्स्य महाविद्यालय की मांग करती हूं । यदि यह महाविद्यालय स्थापित हो जाएगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा । साथ ही साथ इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए

भी मैं कहूंगी कि इंजीनियरिंग की शिक्षा की ओर भी ध्यान दें । मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि समय नहीं है । इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूं । धन्यवाद ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य कॉलेजों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में इस विभाग ने पिछले दो सालों में गुणवत्ता पर काम किया है । मैं पिछले दो साल के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पहली बार शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में संचालित सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं माईनिंग इंजीनियरिंग एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में संचालित सिविल ब्रांच को National Board of Accreditation द्वारा Aggregation प्रदान किया गया है । यह पहली बार हुआ है । यह जो Aggregation है, यह गुणवत्ता के मायने हैं । हम इसकी एक मानक प्रदर्शित करते हैं, उसके हिसाब से यह काम है । 2020-21 में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर के अंतर्गत M. Tech. Thermal Engineering के पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसी तरह से उच्च शिक्षा विभाग में पिछले कई सालों से जो NAAC का Accreditation है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था । हम लोगों ने पिछले दो साल में 40 कॉलेजों को NAAC के अंतर्गत उसकी रैंकिंग 2.5 हो सके, उस पर काम किया है । अभी भी 170 कॉलेज ऐसे हैं, जिनको NAAC की रैंकिंग नहीं मिली है । उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं । हमारी सोच यह है कि आने वाले साल-डेढ़ साल के अंतर्गत हम लोग नैक की जो क्वालिटी है, उसको हम प्राप्त कर सकें। सभी कॉलेजों में प्राप्त कर सकें। हम यही उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 47, 44, 46 एवं 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये - तीन सौ बहत्तर करोड़, इकसठ लाख, अस्सी हजार रूपये।

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिये- आठ सौ सात करोड, चौहत्तर लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी क लिये- छब्बीस करोड, पचपन लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये- बहत्तर करोड, तैंतीस लाख, पचपन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

01:52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

(8) मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिये- तीन सौ अठारह करोड, बयालीस लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये- चार सौ छब्बीस करोड़, चौबीस लाख, छियासठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये- छः हजार सात सौ चौबीस करोड़, इक्याने लाख, बयालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ चार करोड़, पैंसठ लाख रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये-दो हजार पांच सौ उनहत्तर करोड़, अड़तालीस लाख, इक्कीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये-चार सौ छियासी करोड़, चौंसठ लाख, तिरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ चौंतीस करोड़, तेईस लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- एक सौ पचासी करोड़, ग्यारह लाख, छब्बीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिये- अट्ठावन करोड़, सैंतालीस लाख, इक्यानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 1

सामान्य प्रशासन

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी 2

मांग संख्या - 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1

मांग संख्या - 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 32

जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या-71

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

निरंक

मांग संख्या-65

विमानन विभाग

निरंक

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी। (कुछ देर बाद) आप कुछ नहीं कहेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- नहीं। (सिर हिलाकर नहीं का संकेत)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 1, 6, 60, 12, 25, 32, 71 एवं 65 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	1	सामान्य प्रशासन के लिये- तीन सौ अठारह करोड, बयालीस लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये- चार सौ छब्बीस करोड़, चौबीस लाख, छियासठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये- छः हजार सात सौ चौबीस करोड़, इक्याने लाख, बयालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ चार करोड़, पैंसठ लाख रूपये,
मांग संख्या	-	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये-दो हजार पांच सौ उनहत्तर करोड़, अड़तालीस लाख, इक्कीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये-चार सौ छियासी करोड़, चौंसठ लाख, तिरानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ चौंतीस करोड़, तेईस लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये- एक सौ पचासी करोड़, ग्यारह लाख, छब्बीस हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	65	विमानन विभाग के लिये- अट्ठावन करोड़, सैंतालीस लाख, इक्यानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

1:57 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमाक 3 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 58 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 08 मार्च, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**